

**ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी**

जनपद टिहरी गढ़वाल

जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक—आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने एवं पलायन को कम करने हेतु सिफारिशें

प्रस्तावना

टिहरी गढ़वाल राज्य के उत्तर पश्चिमी भू-भाग में स्थित है तथा गढ़वाल मण्डल का एक जनपद है। टिहरी जनपद कि जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6,18,931 है। इसमें वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में 2.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि राज्य औसत से काफी कम है। जनपद के पूर्व में रुद्रप्रयाग, पश्चिम में देहरादून, उत्तर में उत्तरकाशी एवं दक्षिण में जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित है।

अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग प्राथमिक क्षेत्र से आता है। मौजूदा कीमतों पर अर्थव्यवस्था रूपये 3,90,458 लाख वर्ष 2011–12 में, वर्ष 2012–13 में रूपये 4,53,375 लाख थी। जनपद में GDDP की वृद्धि दर वर्ष 2012–13 में 16.11 प्रतिशत, वर्ष 2013–14 में 14.35 प्रतिशत, वर्ष 2014–15 में 13.09 प्रतिशत, वर्ष 2015–16 में 8.77 प्रतिशत एवं वर्ष 2016–17 में 11.35 प्रतिशत थी। जनपद की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में रु0 54,877, वर्ष 2012–13 में रु0 62,735, वर्ष 2013–14 में रु0 69,911, वर्ष 2014–15 में रु0 71,002, वर्ष 2015–16 में रु0 76,145 तथा वर्ष 2016–17 में रु0 83,662 थी।

पिछले 10 वर्षों में टिहरी जनपद के 934 ग्राम पंचायतों से 71,509 व्यक्तियों द्वारा अस्थायी रूप से पलायन किया गया। यह व्यक्ति अस्थायी रूप से आजीविका हेतु अथवा शिक्षा इत्यादि के लिए बाहर रहते हैं, लेकिन अपने गांव में आते रहते हैं। उक्त अवधि में 585 ग्राम पंचायतों के 18,830 व्यक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से पलायन किया गया। यह पूर्ण रूप से गांव छोड़कर जा चुके हैं। पलायन की समस्या जनपद के सभी विकास खण्डों में है। आकंडों से स्पष्ट है कि जनपद के 9 विकास खण्डों में से 5 विकास खण्डों में जनसंख्या वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के बीच में कम हुई है। इन विकास खण्डों में भिलंगना (-5.39%), जाखणीधार (-5.16%), देवप्रयाग (-2.36%), थौलधार (-15.54%) तथा चम्बा (-9.81%) हैं। इन विकास खण्डों में पलायन की दृष्टि से विशेष योजनाएँ प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

यह रिपोर्ट जिले के सामाजिक-आर्थिक मानकों का विस्तार से जांच करती है, विशेषतः उन कारणों के संदर्भ में जो पलायन पर असर डालती है। माध्यमिक जानकारी, जिले के रेखीय विभागों के जनपदस्तरीय अधिकारियों की प्रकाशित और अप्रकाशित सूचनाओं से ली गई है। प्राथमिक जानकारी, आयोग की टीम, खण्ड विकास अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा क्षेत्र भ्रमण से संग्रहित की गयी सूचनाओं पर आधारित है। प्रत्येक विकासखण्ड से आंकडे एकत्र कर विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट में जिले की ग्रामीण सामाजिक-अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं, जिस से पलायन को कम किया जा सके। इससे स्थानीय सामाजिक-अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल सकता है, एवं पलायन पर अकुंश लगेगा।

आयोग अपने अध्यक्ष श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन; श्रीमती मनीषा पवार, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को उनके सुझाव और

समर्थन के लिए; जिलाधिकारी, टिहरी एवं उनके अधिकारियों की टीम; विभिन्न लाइन विभागों के अधिकारी और कर्मचारी; जिले के सभी जनप्रतिनिधि; जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी; एन.जी.ओ. और ग्रामीणों, श्री रोशन लाल, सदस्य सचिव, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग तथा श्री भूपाल सिंह रावत, वैयक्तिक सहायक द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने के अथव प्रयासों को विनम्रता के साथ स्वीकार करता है।

मई, 2020

डॉ. शरद सिंह नेगी
उपाध्यक्ष

विषय – सूची

अध्याय 1	परिचय.....	1—5
अध्याय 2	विकास खण्ड वार सामाजिक—आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण एवं रुझान	6—28
अध्याय 3	पलायन की स्थिति	29—40
अध्याय 4	वर्तमान ग्रामीण सामाजिक—आर्थिक विकास कार्यक्रम.....	41—79
अध्याय 5	विश्लेषण और सिफारिशें	80—94

अध्याय १

परिचय

जनपद का परिचय

टिहरी गढ़वाल राज्य के उत्तर पश्चिमी भू-भाग में स्थित है तथा गढ़वाल मण्डल का एक जनपद है। जनपद मुख्यालय नई टिहरी में है। टिहरी जनपद कि जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 618931 है। इसमें वर्ष 2001 की जनगणना के तुलना में 2.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि राज्य औसत से काफी कम है। जनपद के पूर्व में रुद्रप्रयाग, पश्चिम में देहरादून, उत्तर में उत्तरकाशी एवं दक्षिण में जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित है।

जनपद का भौगौलिक क्षेत्रफल

टिहरी गढ़वाल का भौगौलिक क्षेत्रफल 3642 वर्ग किमी0 है, जो कि प्रदेश के क्षेत्रफल का 6.81 प्रतिशत है। जनपद की सबसे ऊँची चोटी पंवाली कांठा है जो 5706 मीटर ऊँची है। यह स्थल भिलंगना नदी का उद्गम भी है।

ऋतु एवं वर्षा—

जनपद टिहरी गढ़वाल की समशीतोष्ण जलवायु है। गर्मियों में अधिक गर्मी नहीं होती है बल्कि सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। जनपद हिमालय की तलहटी में स्थित होने तथा यहाँ सघन वन क्षेत्र होने के कारण वर्षा अधिक होती है। वर्ष 2016 में वास्तविक वर्षा 938.3 मिलीमीटर हुई। नई टिहरी में वर्ष 2016 में न्यूनतम तापमान -0.30 डिग्री सेंटीग्रेट दिनांक 14.02.2016 को तथा अधिकतम 30.2 डिग्री सेंटीग्रेट दिनांक 18.05.2016 को रिकॉर्ड किया गया।

औसत वर्षा—वर्ष 2014–15 में 1179 मिमी0, वर्ष 2015–16 में 899 मिमी0 एवं सामान्य वर्षा 1163 मिमी0

प्रशासनिक व्यवस्था

टिहरी गढ़वाल जनपद 5 उपखण्डों में बांटा गया है: इस जनपद में 12 तहसील, 9 विकास खण्ड, 928 ग्राम पंचायतें तथा 1868 राजस्व ग्राम हैं। प्रशासनिक व्यवस्था नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गयी है :—

Particulars	Number	Name
Subdivision	5	
Tehsils	12	
Sub-Tehsil	2	
Blocks	9	Bhilangana, Chamba, Deoprayag, Jakhanidhar, Jaunpur, Kirtinagar, Narendranagar, Pratapnagar and Thauldhar
Revenue villages	1868	

जनसंख्या विवरण

जनपद टिहरी का भौगोलिक क्षेत्रफल, कुल परिवार तथा जनसंख्या घनत्व

क्र0सं0	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)	कुल परिवार	कुल परिवार		कुल जनसंख्या	जनसंख्या घनत्व
				ग्रामीण	नगरीय		
1	टिहरी गढ़वाल	3642	132714	115691	17023	618931	170

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 618931 है, जो कि सम्पूर्ण प्रदेश की जनसंख्या का कुल 6.14 प्रतिष्ठत है। इनमें से 297986 पुरुष तथा 320945 स्त्रियाँ हैं।

Year	Pop.	<u>±%</u> p/a.
1901	180,788	---
1911	202,264	+1.13%
1921	214,090	+0.57%
1931	235,038	+0.94%
1941	267,178	+1.29%
1951	277,115	+0.37%
1961	313,210	+1.23%
1971	358,117	+1.35%
1981	446,472	+2.23%
1991	520,256	+1.54%
2001	604,747	+1.52%
2011	618,931	+0.23%

DECADAL VARIATION IN POPULATION SINCE 1901

District Tehri Garhwal

State/Union Territory/District	Census Year	Persons	Variation since the preceding census		Males	Females
			Absolute	Percentage		
TEHRI GARHWAL	1901	180788	---	----	89722	91066
	1911	202264	21476	11.88	99839	102425
	1921	214090	11826	5.85	105242	108848
	1931	235038	20948	9.78	116549	118489
	1941	267178	32140	13.67	135223	131955
	1951	277115	9937	3.72	130563	146552
	1961	313210	36095	13.03	142231	170979
	1971	358117	44907	14.34	164340	193777
	1981	446472	88355	24.67	214577	231895
	1991	520256	73784	16.53	254188	266068
	2001	604747	84491	16.24	295168	309579

Source: Uttarakhand, Census 2011

Block wise data

District	Block	% change in Population (2001-2011)
Tehri Garhwal	Bhilangana	-5.39
	Kirtinagar	1.67
	Pratapnagar	6.59
	Jakhnidhar	-5.16
	Devprayag	-2.36
	Thauldhar	-15.54
	Jaunpur	13.19
	Chamba	-9.81
	Narendranagar	2.57

VILLAGES BY POPULATION SIZE CLASS – Districts and Sub-Districts

Level	State/ District/ Sub District Name	Total number of inhabited villages	Number of Villages by Population Size						
			Less than 200	200- 499	500- 999	1000- 1999	2000- 4999	5000- 9999	10000 and above
DISTRICT	Tehri Garhwal	1774	812	652	247	56	7	0	0
SUB- DISTT	Ghansali	292	86	123	64	16	3	0	0
SUB- DISTT	Devprayag	365	205	116	35	8	1	0	0
SUB- DISTT	Pratapnagar	147	31	58	45	11	2	0	0
SUB- DISTT	Jakhani Dhar	134	85	31	13	5	0	0	0
SUB- DISTT	Tehri	329	164	126	34	5	0	0	0
SUB- DISTT	Dhanaulti	259	117	105	32	5	0	0	0
SUB- DISTT	Narendra Nagar	248	124	93	24	6	1	0	0

Source: Uttarakhand, Census 2011

अर्थव्यवस्था

टिहरी एक पर्वतीय जनपद है। अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग प्राथमिक क्षेत्र से आता है। मौजूदा कीमतों पर अर्थव्यवस्था रूपये 390458 लाख वर्ष 2011–12 में, वर्ष 2012–13 में रूपये 453375 लाख थी। जनपद में GDDP की वृद्धि दर वर्ष 2012–13 में 16.11 प्रतिशत, वर्ष 2013–14 में 14.35 प्रतिशत, वर्ष 2014–15 में 13.09 प्रतिशत, वर्ष 2015–16 में 8.77 प्रतिशत एवं वर्ष 2016–17 में 11.35 प्रतिशत थी। जनपद की प्रतिव्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में रु0 54877, वर्ष 2012–13 में रु0 62735, वर्ष 2013–14 में रु0 69911, वर्ष 2014–15 में रु0 71002, वर्ष 2015–16 में रु0 76145 तथा वर्ष 2016–17 में रु0 83662 थी।

जनपद टिहरी की जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण, 2011

जनसंख्या	मुख्य कर्मकार			
	कृषक	कृषि श्रमिक	पारिवारिक उद्योग	अन्य कर्मकार
618931	97523	3582	2229	62578

काम न करने वाले	मुख्य कर्म करों का जनसंख्या से प्रतिशत	सीमान्त कर्म करों का जनसंख्या से प्रतिशत
338489	26.8	18.5

प्रक्रिया और पद्धति

यह रिपोर्ट जिले के सामाजिक-आर्थिक मानकों का विस्तार से जांच करती है, विशेषतः उन कारणों के संदर्भ में जो पलायन पर असर डालती है। माध्यमिक जानकारी, जिले के रेखीय विभागों के जनपदस्तरीय अधिकारियों की प्रकाशित और अप्रकाशित सूचनाओं से ली गई है। प्राथमिक जानकारी, आयोग की टीम, खण्ड विकास अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा क्षेत्र भ्रमण से संग्रहीत की गयी सूचनाओं पर आधारित है। प्रत्येक विकासखण्ड से आंकड़े एकत्र कर विश्लेषण किया गया है।

इस रिपोर्ट में जिले की ग्रामीण सामाजिक-अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं, जिस से पलायन को कम किया जा सके। इससे स्थानीय सामाजिक-अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल सकता है, एवं पलायन पर अकुंश लगेगा।

अध्याय 2

सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण एवं रुझान

आर्थिक विश्लेषण

वर्ष 2018–19 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का प्रचलित भाव पर सकल घरेलू उत्पाद रु0 2,37,147 करोड़ था जो कि वर्ष 2017–18 की तुलना में 10.37 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित भाव पर टिहरी जनपद का सकल घरेलू उत्पाद 6,47,262 लाख रु0 था तथा स्थिर भाव पर यह 5,32,788 लाख रु0 था। वर्ष 2016–17 में जनपद की आर्थिक विकास दर 7.03 प्रतिशत आंकी गयी है। वर्ष 2016–17 में ही जनपद की प्रति व्यक्ति आय 83,662 रु0 थी, जो कि जनपद हरिद्वार (रु0 2,54,050), देहरादून (रु0 1,95,925) तथा ऊधम सिंह नगर (रु0 1,87,313) की तुलना में काफी कम है।

वर्ष 2017–18 में जनपद में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 38 था जो कि राज्य औसत (53) से काफी कम है। इसी अवधि में जनपद में बैंकों में जमा धनराशि रु0 4545 करोड़ थी जबकि कुल ऋण वितरण रु0 1750 करोड़ था। यह मैदानी जनपदों की तुलान में काफी कम है।

जनपद का बहुआयामी समग्रह सूचकांक 33.60 आंका गया है, जो कि ऊधम सिंह नगर (54.22), देहरादून (51.72), हरिद्वार (51.49) की तुलना में भी काफी कम है। यह स्पष्ट है कि ऊधम सिंह नगर राज्य में बहुआयामी समग्रह सूचकांक की तालिका में प्रथम स्थान पर तथा जनपद टिहरी 12वें एवं जनपद बागेश्वर 13वें स्थान पर है इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर टिहरी जनपद पीछे है।

उत्तराखण्ड की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार देहरादून जनपद प्रथम स्थान पर आंका गया है। (वर्ष 2017 में) तथा टिहरी जनपद 13वें स्थान पर है। लैंगिक विकास सूचकांक जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवनस्तर से संबंधित आंकड़ों के आधार पर महिला एवं पुरुषों के मध्यम अंतराल को दर्शाता है, टिहरी जनपद 7वें स्थान पर है तथा उत्तरकाशी जनपद सबसे नीचे।

जनपद में फल के 8 औद्योगिक कलस्टर, सब्जी के 10 औद्योगिक कलस्टर, मसालों के 2 औद्योगिक कलस्टर, पुष्पों के 1 औद्योगिक कलस्टर चयनित किए गए हैं। कुल राज्य में 1050 कलस्टरों में से 21 औद्योगिक कलस्टर टिहरी में हैं।

कृषि

जनपद टिहरी के अन्तर्गत कृषि गणना वर्ष 2005–06 तथा वर्ष 2010–11 से जोतों की तुलनात्मक स्थिति

जनपद	कृषि गणना 2005–06 जोतों की संख्या					योग
	0–1 हेठो	1–2 हेठो	2–4 हेठो	4–10 हेठो	10 हेठो से	
टिहरी गढ़वाल	57271	17120	5872	882	20	81165

जनपद टिहरी के अन्तर्गत भूमि उपयोग वर्ष 2016–17

जनपद	स्थायी चारागाह तथा अन्य चराई की भूमि	अन्य वृक्षों, झाड़ियों, बागों आदिका क्षेत्रफल जो वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं है	वर्तमान परती	अन्य परती	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल
टिहरी गढ़वाल	220	4515	10311	8858	52992

जनपद टिहरी के अन्तर्गत सकल एवं शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, सकल एवं शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल तथा उसका प्रतिशत वर्ष 2016–17

जनपद	बोयागया क्षेत्रफल		सिंचित क्षेत्रफल		सिंचित क्षेत्रफल का बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत	
	सकल	शुद्ध	सकल	शुद्ध	सकल	शुद्ध
टिहरी गढ़वाल	78917	52992	14834	7910	18.80	14.93

कृषि एवं संवर्गीय सेवायें

- भूमण्डलीकरण के इस दौर में देश में सेवा संवर्ग का प्रथम स्थान होने के उपरान्त भी हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संवर्गीय खण्ड का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कृषि गणना 2010–11 के अनुसार प्रदेश में कुल क्रियात्मक जोतों की संख्या 9.13 लाख तथा इसके अन्तर्गत 8.16 लाख हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु वित्तीय संसाधन सुलभ कराने के साथ–साथ नवीनतम वैज्ञानिक कृषि विधियों एवं उपकरणों की जानकारी सुलभ कराने हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन, बीज, उर्वरक, कीटनाशक औषधियों आदि आवश्यक कृषि निवेशों की ससमय सम्पूर्ति की व्यवस्था, फसल सुरक्षा तथा आवश्यक कृषि निवेश जुटाने हेतु उपादान एवं ऋण की व्यवस्था जैसे अनेक उपाय किये जा रहे हैं।
- कृषकों को नवीन तकनीक की जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के साथ–साथ खाद्यान्न की फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु उन्नत प्रजाति के प्रमाणित बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिप्सम, जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशक एवं खपतवारनाशी रसायन राष्ट्रीय कृषि योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में लघु/सीमान्त कृषकों की आय कम होने तथा कृषि भूमि का क्षेत्रफल कम तथा अलग–अलग होने के कारण कृषकों द्वारा कृषि कार्यों में कम रुचि ली जा रही है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कृषकों को कृषि यन्त्रों की खरीद पर 80 प्रतिशत अनुदान हेतु केन्द्रांश 50 तथा राज्यांश 30 प्रतिशत अनुदान का प्राविधान किया गया है।

उर्वरक— विभिन्न फसलों के कुल एवं औसत उत्पादन की वृद्धि में रासायनिक उर्वरकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वर्ष 2016–17 में 128.508 मीटन उर्वरक का उपभोग किया गया है। इसमें से 88.001 मीटन नाइट्रोजन, 39.814 मीटन फास्फोरस व 0.693 मीटन पोटाश के रूप में उपभोग किया गया है।

उर्वरक वितरण (मीटन)

वर्ष	नाईट्रोन	फास्फोरस	पोटाश	कुल
2008–09	134.29	77.11	2.98	215.38
2009–10	100.38	56.98	5.68	163.04
2011–12	118.22	57.72	14.61	190.55
2011–12	134.55	59.16	16.38	210.10
2012–13	142.136	49.295	17.926	209.357
2013–14	75.791	24.049	0.539	100.379
2014–15	61.407	29.199	2.718	93.324
2015–16	102.963	37.751	2.507	143.221
2016–17	88.001	39.814	0.693	128.508

भूमि उपयोग— भूमि उपयोगिता के आंकड़े वर्ष 2015–16 के अनुसार जनपद में भूमि उपयोगिता निम्न प्रकार है –

कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	—	485517 हैक्टेयर
वन क्षेत्रफल	—	321564 हैक्टेयर
कृषि योग्य बंजर भूमि	—	73995 हैक्टेयर
परती भूमि	— वर्तमान परती	9744 हैक्टेयर
	— अन्य परती	8708 हैक्टेयर
उसर एवं कृषि अयोग्य भूमि	—	5885 हैक्टेयर
कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	—	7075 हैक्टेयर
स्थायी चारागाह	—	220 हैक्टेयर
उद्यानों, बागों, वृक्षों व झाड़ियों का क्षेत्रफल	—	4517 हैक्टेयर
शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	—	53809 हैक्टेयर
सकल बोया गया क्षेत्रफल	—	81095 हैक्टेयर
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	—	7739 हैक्टेयर
सकल सिंचित क्षेत्रफल	—	14240 हैक्टेयर

फसल उत्पादन – भूमि उपयोगिता के आंकड़े वर्ष 2015–16 के अनुसार जनपद में मुख्य फसलों की औसत उपज (कुन्तल / हैक्टेयर) निम्नानुसार है—

चावल	—	17.10	उड़द	—	7.07
गेहूं	—	12.23	मसूर	—	7.46
जौ	—	10.81	गहत	—	8.33
मक्का	—	16.77	राजमा	—	8.83
मंडवा	—	15.88	चना	—	6.50
सावां	—	14.62	भट्ट	—	7.15

कृषि अनुदान

1. कृषि विभाग द्वार वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत 340 हैक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं के समूह प्रदर्शन, 70 हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्का–गेहूं के फसल चक्र आधारित समूह प्रदर्शन, 30 हैक्टेयर में उर्द–गेहूं के फसल चक्र आधारित समूह प्रदर्शन, 200 हैक्टेयर क्षेत्रफल में उर्द के समूह प्रदर्शन तथा 30 हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्का–उर्द के फसल चक्र आधारित समूह प्रदर्शन तथा, 50 प्रतिशत अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व कृषि रक्षा रसायन एवं कृषि यंत्र आदि वितरित किये गये, जिनमें कुल 69.36 लाख रुपये व्यय हुये।
2. कृषि विभाग द्वारा बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत कुल 721.85 कुन्तल गेहूं का बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरित किया गया। कृषकों के प्रक्षेत्रों पर कुल 14 प्रशिक्षण आयोजित कराये गये।
3. कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में आरोपीवाई योजना में स्वीकृत जैविक कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्र पर कुल 243 जैविक संरचनाओं का निर्माण कराया गया तथा 12 ग्राम स्तरीय कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।
4. कृषि यन्त्र वितरण योजना के अन्तर्गत कृषकों को 1678 पर्वतय हल, 2 पावर टिलर, 75 पावर वीडर, 4010 छोटे कृषि यंत्र एवं 1200 मी० एच०डी०पी०ई० पाईप अनुदान पर वितरित किये गये।
5. जल योजना वर्ष 2016–17 अन्तर्गत मृदा एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम में अतिवृष्टि/दैवीय आपदा से प्रभावित कृषि भूमि के उपचार हेतु चैकवाल/चैकडैम का निर्माण कराया गया तथा जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु घेरबाड़ करायी गयी एवं 540 कृषि यंत्र वितरित किये गये, जिसमें कुल 120.78 लाख व्यय हुये।
6. अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में समस्त विकास खण्डों के चयनित ग्रामों में मृदा परीक्षण, अधिक उपजदायी प्रजाति के अन्तर्गत आच्छादन, बीज शोधन एवं कीटरोग निगरानी कार्यक्रम, कृषि यंत्रीकरण, बायोकम्पोस्टिंग, सिंचन क्षमता वृद्धि एवं प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें रु० 20.00 लाख व्यय हुये।

उद्यान

उद्यान विकास

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों का सम्पादन जनपद में स्थापित उद्यान सचल दल केन्द्र/उपकेन्द्र के माध्यम से किया जाता है। जनपद में उद्यान विभाग के अधीन निम्न सचल दल, राजकीय उद्यान राठ फल संरक्षण केन्द्र स्थापित हैं।

1	उद्यान सचल दल केन्द्र/उपकेन्द्र	40
2	राजकीय उद्यान	04
3	राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्र	04
4	राजकीय आलू प्रक्षेत्र धनोल्टी	01

औद्यानिक विकास के अन्तर्गत फलों की खेती, सब्जी उत्पादन, मसाला उत्पादन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, आलू उत्पादन तथा मधुमक्खी पालन आदि विषय आते हैं जिनको अपनाने से स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार प्राप्त किया जा सकता है जनपद में औद्यानिक विकास को जिला/राज्य सैक्टर, हॉर्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन, एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जनपद की जलवायु एवं भूमि मृदा परीक्षण के उपरान्त उद्यानीकरण, सब्जी, मसाला, आलू तथा पुष्प उत्पादन हेतु उपयुक्त पाई गई हैं। पर्वतीय क्षेत्र होने से अधिकांश खेत सीढ़ीनुमा हैं। जनपद के अधिकांश कृषक लघु एवं सीमान्त हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। औद्यानिक फसलों का उत्पादन फसल चक्र के अनुसार अपनाने का परामर्श देकर विभाग द्वारा कृषकों की आर्थिक स्थिति को उन्नत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिये जिला योजना, राज्य योजना तथा हॉर्टिकल्चर टैक्नोलॉजी योजना में कई लाभकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं। जिलायोजना के अधिकांश कार्यक्रम 50 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत राज सहायता पर संचालित किये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित योजना हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट के अन्तर्गत 1.00 है० क्षे० में नवीन उद्यान स्थापना हेतु 50 प्रतिशत राज सहायता अधिकतम 50,000 (तीन वर्षों में) प्रति हैैक्टेयर निवेशों के रूप में देय है। इसी प्रकार पौध से तैयार होने वाली सब्जियों हेतु प्रति है० 50 प्रतिशत राज सहायता अधिकतम 15000 प्रति हैैक्टेयर निवेशों के रूप में देय है। औद्यानीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु जनपद में चम्बा, मसूरी फल पट्टी स्थापित की गई है। इस फलपट्टी में फलोद्यान के साथ-साथ सब्जी एवं पुष्प उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वर्ष पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 10.0 है० क्षे० में गेंदा की खेती करायी जा रही है, जिस पर अधिकतम 20000 प्रति है० निवेशों के रूप में देय है।

विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में किये गये कार्यों का विवरण—

क्र०सं०	मद	इकाई	वितरण वर्ष 2016–17
1	उद्यानीकरण	हैैक्टर	378.00
2	फल पौध वितरण	संख्या लाख में	1.24

3	सब्जी / आलू बीज वितरण	कुन्तल	393.12
4	सब्जी पौध वितरण	लाख	24.50
5	पुष्प उत्पादन	हैक्टर	10.00
6	कीट व्याधि की रोकथाम	हैक्टर	1530.00
7	औद्यानिक औजार संयंत्र वितरण	संख्या	668.00
8	रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैक निर्माण	संख्या	74.00
9	घेरबाड़ योजना	हैक्टर	9.00
10	लहसुन एवं अदरक बीज वितरण	कुन्तल में	362.60
11	सिंचन क्षमता का विकास मिनी माइक्रो/टपक सिंचाई	हैक्टर	47.00
12	कास्तकारों को औद्यानिक / प्रसंस्करण प्रशिक्षण	संख्या	480.00
13	फल सब्जियों का प्रसंस्करण	कुन्तल	136.03

वर्ष 2016–17 में औद्यानिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु काश्तकारों को उद्यानीकरण, मसाला, पुष्प उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत राज सहायता पर निवेश उपलब्ध कराये गये। उद्यानों की सुरक्षा हेतु राज्य सैक्टर में 9.00 हैक्टर क्षेत्रफल में 75 प्रतिशत राजसहायता पर घेरबाड़ कराई गई। 47.00 हैक्टर क्षेत्र में सिंचन क्षमता का विकास करने हेतु मिनीमाइक्रो/टपक सिंचाई की स्थापना करायी गयी। 480 कृषकों को औद्यानिक तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण दिये गये। 136.03 कु0 खाद्य पदार्थ जैसे अचार, चटनी, जैम आदि तैयार किये गये।

पशुपालन

- पशुपालन ग्रामीण आर्थिक विकास का एक अभिन्न अंग होने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पशुपालन के महत्व को देखते हुए पशुपालन विभाग ने जनपद में पशुओं के नस्ल सुधार, रोग नियंत्रण, रखरखाव, खानपान एवं पशु प्रबन्धन के लिए निरन्तर प्रयासरत है। उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये 38 पशुचिकित्सालय, 92 पशु सेवा केन्द्र, 01 सचल पशु चिकित्सालय एवं 01 सचल पशु चिकित्सा वाहन (प्रयोगशाला) तथा नस्ल सुधार योजनान्तर्गत 44 कृत्रिम गर्भधान केन्द्र स्थापित हैं। भेड़ों में नस्ल सुधार हेतु भेड़ एवं ऊन-प्रसार केन्द्र तथा रैम रैजिंग यूनिट के माध्यम से निःशुल्क मेढ़ा वितरण का कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों में मुर्गा/मुर्गा क्रॉस भैंसा एवं गाय सांड उपलब्ध कराकर नस्ल सुधार के कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालकों को उन्नत नस्ल के सांड उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जाता है।
- रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के पशुचिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के माध्यम से पशुचिकित्सा कार्य किया जाता है तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु वृहद स्तर पर टीकाकरण कार्य

किया जाता हैं प्रमुख संक्रामक रोग खुरपका-मुंहपका, गला घोंटू रेबीज आदि बीमारियों को टीकाकरण के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में कुल 200111 पशुओं में टीकाकरण किया गया है।

3. पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में गाय एवं भैंस की नस्ल सुधार कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से सुलतापूर्वक चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम विभागीय संस्थाओं बायक एवं उपसा के माध्यम से चलाया जाता है। वर्ष 2016–17 में जनपद में विभिन्न माध्यमों से 3733 गायों तथा 3546 भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान किया गया जिनमें 3982 सन्तति उत्पन्न हुई।
4. चारा विकास/चारा बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में पशुपालकों को हरा चारा उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क चारा बीज वितरण कार्यक्रम चलाया जाता है। वर्ष 2016–17 में 70.00 कुन्तल बीज वितरित कर पशुपालकों को लाभान्वित किया गया। पशुओं में चारे की पूर्ति हेतु अपचारा बैंक नागणी, छाम, कीर्तिनगर, मुनिकीरेती, पन्तवाड़ी, घनसाली, कोटालगांव (लम्बगांव) एवं हिण्डोलाखाल के माध्यम से कम कीमत पर “दुधारू भेली” (28 किंवदन्ति पैकिंग), “राहत भेली” (24 किंवदन्ति पैकिंग) एवं “चाटन भेली” (2.5 किंवदन्ति पैकिंग) में उपलब्ध कराई जाती है। बंजर एवं खाली भूमि में नैपीयर जड़ का रोपण एवं चारा प्रजाति के वृक्षों को रोपित करने की योजना विकास खण्ड चम्बा, फकोट एवं जौनपुर क्षेत्र में हिमालयी आजीविका सहयोग परियोजना के वित्त पोषण से किया जा रहा है।
5. कृषक महोत्सव योजना के अन्तर्गत वर्ष में दो बार न्याय पंचायत स्तर पर कृषक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कृषक महोत्सव के दौरान पशुपालकों को टीकाकरण, पशु चिकित्सा चारा बीज वितरण, कुक्कुट वितरण आदि कार्यक्रम किसानों के द्वार पर ही चलाये जाते हैं तथा पशुपालकों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।
6. एस्केड योजना के अन्तर्गत जनपद में पशुपालकों से संक्रामक रोगों के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर गोष्ठियाँ आयोजित की गयी तथा पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण किया गया।
7. बैक्यार्ड पोल्ट्र यूनिट स्थापना योजना के अन्तर्गत जनपद में वर्ष 2016–17 में 1000 यूनिट (5000 एक दिवसीय चूजे) स्थापित किये गये। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के स्वरोजगार हेतु 100 प्रतिशत अनुदान पर 50 एक दिवसीय चूजे उपलब्ध कराये जाते हैं।
8. राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत पशुधन बीमा योजना भारत सरकार/राज्य सरकार एवं पशुपालक अंश योजना द्वारा पशुपालकों के स्वयं के अधिकतम 05 पशु (गाय/भैंस/बैल/खच्चर/याक/ऊँट आदि) अथवा 50 टोटे पशुओं (भेड़/बकरी/सुअर आदि) का पशुधन बीमा पर्वतीय क्षेत्रों में ए0पी0एल0 को 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं बी0पी0एल0 को 20 प्रतिशत बीमित धनराशि के प्रीमियम छूट पर बीमा किया जाता है। वर्ष 2016–17 में 1300 से अधिक बड़े/छोटे निजी पशुपालकों के पशुओं का बीमा किया जा चुका है। यह सुविधा जनपद के सभी राजकीय पशुचिकित्सालयों में उपलब्ध है।
9. प्रजनन हेतु निःशुल्क भैंसा सांडों का वितरण योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड (यूएल0डी0बी0) के माध्यम से जनपद के अन्तर्गत उन्नतशील भैंस सांडों का वितरण जनपद के विभिन्न विकासखण्डों के अन्तर्गत आने वाले गांवों में किया गया।

10. अहिल्याबाई होल्कर योजनान्तर्गत 90 प्रतिशत अनुदान पर वर्ष 2016–17 में 22 भेड़/बकरी यूनिट की स्थापना की गयी। इसके अतिरिक्त भेड़ पालकों के प्रवर्जन मार्ग एवं भेड़ बाह्य गांवों में पर सचल प्रयोगशाला वाहन (भेड़) के माध्यम से 123 पशुचिकित्सा शिविर आयोजित किये गये तथा मशीन द्वारा भेड़ों की ऊन शियरिंग का कार्य भी प्रवर्जन मार्ग पर किया गया।
11. भवन निर्माण योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में जिला योजनान्तर्गत पशु सेवा केन्द्र साबली, खार्सी, नैरी, ज्ञानसू द्वारगढ़, आनन्द चौक (संतेगल) एवं चौंधर में भवन निर्माण हेतु क्रमशः रु0 14.00, 14.00, 14.00, 16.00, 14.00, 2.00 एवं 4.00 लाख एवं पशुचिकित्सालय नैनबाग एवं थत्यूड़ के भवन निर्माण/मरम्मत हेतु क्रमशः रु0 3.50 एवं रु0 3.80 लाख धनराशि व्यय की गयी।
12. अनुसूचित जाति/जनजाति/परिवारों को 90 प्रतिशत अनुदान पर वर्ष 2016–17 में जनपद 67 गौपालन की यूनिट तथा 40 भेड़/बकरी पालन की यूनिट स्थापित कर पशुपालकों को लाभान्वित किया गया।
13. वर्ष 2016–17 में किये गये विकास कार्य की प्रगति
- 14.1 वर्ष 2016–17 में 214212 पशुओं की चिकित्सा, 9959 पशुओं का बधियाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 3733 गाय एवं 3546 भैंसों की नस्ल सुधार एवं गर्भाधान किया गया। टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु 200111 पशुओं को टीके लगाये गये।
- 14.2 पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करेन हेतु जिला योजना के अन्तर्गत कुल रु0 110.50 लाख की धनराशि व्यय की गयी। राज्य सैकटर के अन्तर्गत रु0 13.98 लाख एवं केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत रु0 13.45 लाख व्यय किये गये।

जनपद में पशुधन एवं कुक्कुट पक्षियों की संख्या पशुगणना 2012 के अनुसार

क्र0स0	पशु प्रजाति(विदेशी/ संकर)	नर+मादा	संख्या
1	गोजातीय पशु (विदेशी/ संकर)		15262
2	गोजातीय पशु(देशी)		84924
3	कुल गोजातीय पशु		100186
3	भैंस		91350
4	याक (गोजतीय)		0
5	भेड़(विदेशी/ संकर)		23259
6	भेड़ (देशी)		20064
7	कुल भेड़		43323
8	बकरी		125899
9	घोड़ा तथा टट्ठू		1337

10	खच्चर	3216
11	गधा	77
12	कुत्ता	11494
13	खरगोश	387
14	सूअर(विदेश / संकर)	197
15	सूअर देशी	412
16	कुल सूअर	609
17	मुर्गा / मुर्गी / चूजे / बत्तख	69442

दुग्ध विकास

डेरी विकास विभाग

(टिहरी गढ़वाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, नई टिहरी)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियाँ गठित करते हुये दुग्ध उत्पादकों को वर्ष पर्यन्त दुग्ध विपणन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा नगरीय क्षेत्रों में उपभोक्ताओं, पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों को उचित दर पर शुद्ध दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में डेरी विकास विभाग द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों को ग्राम स्तर पर तकनीकी निवेश सुविधाये यथा—रियायती दर पर संतुलित पशु आहार, प्राथमिक पशु चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क औषधिक सुविधायें, निःशुल्क चैप कटर वितरण, चाराबीज वितरण, प्रशिक्षण तथा दुधारू पशु क्रय करने हेतु बैंक ऋण व अनुदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। इन कार्यक्रमों से जहाँ एक ओर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु सतत् प्रयास जारी हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2. डेरी विकास विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधायें :-

- दुग्ध समिति सदस्यों को वर्ष पर्यन्त उचित दर पर दुग्ध विपणन की सुविधा।
- दुग्ध समितियों में रियायती दर पर संतुलित पशु आहर वितरण।
- ग्राम स्तर पर निःशुल्क प्राथमिक पशु चिकित्सा, टीकाकरण एवं डिवार्मिंग की सुविधा
- समय—समय पर चाराबीज वितरण की सुविधा
- नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रशिक्षण की सुविधा
- नगरीय क्षेत्रों में आँचल ब्रांड दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति।
- महिला डेरी परियोजनान्तर्गत गंगा गाय योजना में दुधारू क्रॉसब्रीड गाय उपलब्ध कराना।
- अधिकतम महिला सदस्यों की भागीदारी।

3. वर्ष 2016–17 में किये गये कार्यों का विवरण :-

1. जिला योजनान्तर्गत— दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं के सुदृढ़ीकरण हेतु जिला योजनान्तर्गत कुल प्राप्त धनराशि मु0—रु0 27.61 लाख, मध्ये मु0—रु02.75 लाख पशु औषधि, डिवार्मिंग, टीकाकरण, मु0—रु0 2.84 लाख आपातकालीन पशु चिकित्सा, मु0—रु0 2.50 लाख 81 टन सन्तुलित पशु आहार अनुदान, रु0 4.78 लाख हेड लोड अनुदान, मु0 रु0 13.48 परिवहन अनुदान, मु0—रु0 0.96 फील्ड पर्यवेक्षण (राजकीय वाहन), मु0—रु0 0.30 लाख विविध व्यय किये गये।
2. राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में मु0—रु0 3.60 लाख मध्ये प्रबन्धकीय अनुदान पर मु0—रु0 2.79 उपयोग हुआ तथा अवशेष मु0 रु0 0.81 शासन को चालन से वापस किये गये। राज्य सैक्टर योजना में सोलर प्लान्ट के अन्तर्गत तीन सोलर लाईट डेयरी परिसर में लगायी गयी जिस पर मु0—रु0 0.75 लाख व्यय हुआ।
3. वर्तमान में 10 दुग्ध मार्गों पर समितियों का गठन एवं संचालन किया जा रहा है दुग्ध संघ 27 दुग्ध समितियां जो कीर्तिनगर मार्ग (कीर्तिनगर विकास खण्ड) पर स्थित है, श्रीनगर दुग्ध संघ द्वारा संचालित की जा रही है। जनपद के छ: विकासखण्डों चम्बा, थौलधार, जाखणीधार, भिलंगना, नरेन्द्रनगर, देवप्रयाग से सम्बन्धित दुग्ध मार्गों पर गठित दुग्ध समितियों से वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यरत 233 दुग्ध समितियों से प्रतिदिन औसत 2166.00 ली0 दूध उपार्जित किया गया। वर्ष 2016–17 में दुग्ध समितियों के 10532 सदस्यों मध्ये 1258 पोरर सदस्यों द्वारा दुग्ध उपार्जित कर लाभान्वित हुए हैं।
4. नगरीय उपभोक्ताओं, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों तथा विभिन्न संस्थानों को उचित दर पर शुद्ध एवं उत्तम गुणवत्ता का दूध एवं दुग्ध पदार्थ “आँचल ब्रांड” की आपूर्ति की जा रही है, जो कि नगरीय क्षेत्र नई टिहरी, बौराड़ी, कोटी कालोनी, बी0पुरम, अन्जीनसैण, गडोलिय, पौखाल, नवोदय विद्यालय, घनसाली आदि को आपूर्ति की जा रही है वर्ष 2016–17 में तरल दूध बिक्री 1764.00 ली0 औसत रही तथा इसके अतिरिक्त वर्ष 2016–17 में एस0एम0जी0 दूध बिक्री 588.00 ली0 औसत प्रतिदिन रही, जो सीजन में श्रीनगर, देहरादून व हरिद्वार दुग्ध संघ को की गयी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में धी बिक्री 4048.8 ली0, पनीर 5627.90 कि�0ग्रा0, क्रीम 16.00 कि�0ग्रा0, मक्खन 48.0 कि�0ग्रा0, मट्ठा 2785.00 ली0 एवं दही 13428.00 कि�0ग्रा0 रही।
5. दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना 2016–17 में उत्पादकों को दूध की गणुवत्ता के आधार पर रु0 4.00 प्रति कि�0ग्रा0 अथवा रु0 3.00 प्रति कि�0ग्रा0 की दर से प्रोत्साहन राशि वितरित की गयी है। दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को दुग्ध देने वाले दुग्ध उत्पादकों को ₹ 3,93,173.00 उक्तानुसार भुगतान किया गया।
6. गाय गंगा योजना— मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के स्थापना दिवस पर दुग्ध को बढ़ावा देने के एवं ग्रामीण गरीब किसानों/महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु गंगा गाय योजना प्रारम्भ की गयी, जिसमें वर्ष 2016–17 में 30 लाभार्थियों को गंगा गाय योजना के अन्तर्गत उन्नत नस्ल की क्रॉस ब्रीड गाय उपलब्ध करायी गयी, जिसमें कुल लागत रु0 8.56 लाख व्यय किया गया।

उद्योग विभाग

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग का प्रमुख स्थान है। प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के विकास हेतु विभिन्न अभिकरणों द्वारा यथासम्भव वित्तीय संसाधन सुलभ कराये जाने के साथ ही प्रदेश में अनुकूल औद्योगिक वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से उत्साही उद्यमियों को एक ही स्थान पर समस्त सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु उद्योग बन्धु की स्थापना की गई है।

किसी भी देश एवं प्रदेश के विकास में उद्योगों की भूमिका अति महत्वपूर्ण हैं औद्योगिकरण के बिना क्षेत्र के विकास की कल्पना निरर्थक है। उद्योग विभाग के द्वारा उद्योगों की स्थापना में केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित औद्योगिक नीति के अनुरूप उनको लाभान्वित किया जाता है जनपद टिहरी गढ़वाल में लागू औद्योगिक नीति एवं उससे लाभान्वित इकाईयों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्पादित कार्य-

1. परामर्श कक्ष के माध्यम से विभागीय एवं गैर विभागीय योजनाओं की जानकारी तथा उद्यमियों को उद्यम स्थापनार्थ सहायता प्रदान करना।
2. उद्योग स्थापना मिनी औद्योगिक आस्थानों में जिलास्तरीय समिति के माध्यम से प्लॉट आबंटन
3. उद्यम स्थानार्थ इकाई के पक्ष में वित्तीय संस्थाओं से समन्वय कर ऋण वितरण हेतु कार्यवाही।
4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ₹०५०-२ की व्यवस्था समाप्त करते हुए उद्योग आधार जारी करना।
5. उद्यमों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु जिला उद्योग मित्र एवं एकल खिड़की के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
6. जनपद/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के मेलों/प्रदर्शनियों में जनपद के उद्यमियों के उत्पाद की प्रदर्शनी लगवाना ताकि उन्हें उचित प्रचार-प्रसार मिल सके।
7. लघु उद्यमियों, बुनकरों तथा हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरस्कृत करना।
8. पीएमईजीपी योजना का क्रियान्वयन।
9. योजनाओं के प्रचार-प्रसार तथा उद्यम स्थापना हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
10. केन्द्र एवं राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों का क्रियान्वयन करना।
11. हथकरघा एवं हस्तशिल्पियों को सामान्य बीमा योजना से आच्छादित करना।
12. समय-समय पर भारत सरकार के निर्देशानुसार इकाईयों की गणना करना।

2. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित योजनाएं—

A. उद्योग आधार ज्ञापन (UAM)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम—2006 की धारा—8 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमिता ज्ञापन भाग—1 अथवा उद्यमिता ज्ञापन—2 के स्थान पर उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) फाइल किये जाने के सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 2028 दिनांक 19—09—2015 द्वारा यह विनिर्दिष्ट किय गया है कि प्रत्येक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिसूचना जारी होने के साथ विहित फार्म में उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। उद्योग आधार ज्ञापन करने के लिए कोई शुल्क नहीं हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित <http://udyogaadhar.gov.in> उद्योग आधार पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है, लेकिन अपवादित मामलों में जहाँ किसी कारण ऑनलाइन फाइलिंग संभव नहीं है, वहाँ विधिवत भरे गये अनुबन्ध—1 के रूप में फार्म की हार्ड प्रति जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तु की जा सकती हैं तदुपरान्त अनुबन्ध—2 के अनुसार उद्योग आधार पावती सृजित की जायेगी।

B. केन्द्रीय पूँजी उपादान योजना—2013

यह योजना भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के ग्रोथ सेन्टर, इण्डस्ट्रियल इस्टेट/पार्क, निर्यात संवर्द्धन जोन तथा नोटिफाइड एरिया के अन्तर्गत स्थापित उद्यमों तथा राज्य के किसी भी क्षेत्र में स्थापित होने वाले थ्रस्ट सेक्टर के उन उद्यमों हेतु जो दिनांक 7 जनवरी 2013 से दिनांक 31 मार्च 2017 तक उत्पादन में आयी हों या इस अवधि में प्रभावी विस्तारीकरण किया हो के लिए लागू है।

उत्पादन की मात्रा— इकाई द्वारा प्लांट व मशीनरी में किए गये स्थायी पूँजी निवेश का 15 प्रतिशत अथवा ₹0 30.00 लाख जो भी कम हो उत्पादन देय हैं एम०एस०एम०ई० के लिए उपादान की उच्चतम सीमा ₹0 50.00 लाख तक है।

C. मालभाड़ा राजसहायता योजना 2013

भारत सरकार द्वारा उद्योगों की वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के चुनिदां क्षेत्रों में स्थित पात्र औद्योगिक इकाईयों को कच्चे माल और तैयार माल को लाने ले जाने के लिये मालभाड़ा राजसहायता देने का प्रावधान किया गया है। यह योजना 22 जनवरी 2013 से 5 वर्ष के लिये लागू की गई है। इस योजना में औद्योगिक इकाई के स्थान तथा नजदीकी विनिर्दिष्ट रेल हेड के बीच कच्चे माल / तैयार माल के आवगमन की परिवहन लागत का 75 प्रतिशत उपादान देय है।

D. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)

ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008—09 में PMEGP नामक नवीन ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना क्रियान्वित

की गयी है। इसके अन्तर्गत ऑनलाइन वेबसाईट www.kviconline.gov.in/ pmegpnew पर लॉगइन कर आवेदन फार्म भरे जाते हैं।

- जनपद स्तर पर यह योजना जिला उद्योग केन्द्र (DIC) ,खादी ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB) द्वारा संचालित की जा रही है योजना के संचालन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में तथा DIV को ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र में योजना के संचालन हेतु अधिकृत किया गया है।
- इस योजनान्तर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत सब्सिडी देय है। इसमें लाभार्थी का अंशदान ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्र में 5 प्रतिशत की दर से अनुमन्य है।

E. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015

यह नीति 31 जनवरी 2015 को घोषित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश को चार श्रेणी—ए, बी, सी, डी में वर्गीकृत किया गया है, तथा टिहरी गढ़वाल जनपद क्षेणी बी में सम्मिलित किया गया हैं श्रेणी बी में जनपद टिहरी का सम्पूर्ण भू—भाग सम्मिलित किया गया है।

F. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नई एम०एस०एम०ई० नीति में "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" का संचालन हुआ है। इसके अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों को विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम रु० 05.00 लाख एवं व्यवसाय व सेवा क्षेत्र में अधिकतम रु० 03.00 लाख तक के ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत निम्न सारणी के अनुसार मार्जिन मनी सहायता दी जायेगी –

मार्जिन मनी सहायता		
श्रेणी	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
सामान्य वर्ग	15 प्रतिशत	प्रतिशत
एस.सी./एस.टी. /महिला/पूर्वसैनिक/अल्पसंख्यक/पर्वतीय क्षेत्र	25 प्रतिशत	35 प्रतिशत

G. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

राज्य के आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म व लघु उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमशील महिलाओं को बैंकों से सुगमतापूर्पक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लए "महिला

उद्यमियों” के लिए “विशेष प्रोत्साहन योजना” दिनांक 15 अगस्त 2015 से आरम्भ की गयी। योजनान्तर्गत निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन दिये जायेंगे:-

1. पूंजीगत उपादान सहायता:- कुल स्थिरपूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 25.00 लाख
2. ब्याज उपादान सहायता:- बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज में 6 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 लाख प्रतिवर्ष/प्रति इकाई।

योजना का उद्देश्य:- योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता तथा कौशल विकास का सृजन कर उद्यम स्थापना के लिए वांछित पूंजी की व्यवस्था के लिए बैंकों के माध्यम से सुगमता पूर्वक ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि महिलायें स्वयं का उद्यम स्थापित कर आत्म निर्भर बनने के साथ-साथ रोजगार प्रदाता की भूमिका भी निभा सकें।

महिला उद्यमी की परिभाषा:-महिला उद्यमी से आशय ऐसी महिला से है, जिसने स्वयं के स्वामित्व में उद्यम स्थापित करना प्रस्तावित किया हो/स्थापित किया हो। भागीदारी फर्म होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत भागीदारी, भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में 51 प्रतिशत अंशधारक, सहकारी समिति/सहकारी संस्था/स्वयं सहायता समूह होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत सदस्य महिलायें होनी आवश्यक हैं।

H. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

जिला योजना के अन्तर्गत उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग विभाग के द्वारा जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराकर लघु उद्यम स्थापित करने हेतु संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रशिक्षण की रूपरेखा:- उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत दो दिवसीय, तीन साप्ताहिक, एक माह के साथ दीर्घ अवधि (6माह) के कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं। वर्तमान में दो दिवसीय एवं तीन साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ही जिला योजना से अनुमोदन के बाद जिला स्तर पर आयोजित किये जा रहे हैं।

दो दिवसीय कार्यक्रम:-इन कार्यक्रमों का आयोजन चयनित संस्थाओं के माध्यम से विषय विशेष पर आयोजित किये जाने का प्राविधान है।

I. एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञान नियमावली

राज्य सरकार द्वारा उद्यमिता की उद्यम स्थापना सम्बन्धी समस्याओं, आपत्तियों एवं स्वीकृतियों के समयबद्ध निस्तारण के उद्देश्य से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञान नियमावली-2015 लागू किया गया है।

- (i) यह व्यवसायी उद्यमियों को सूचना तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाते हुए उन्हें एक ही पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा वेबसाइट www.inbestuttarakhand.com पर

उपलब्ध है। इस पोर्टल पर उद्यमियों को सभी आवश्यक स्वीकृतियों/अनापत्तियों एवं अनुज्ञाओं को सरलता पूर्वक प्राप्त करने हेतु एकल आवेदन पत्र (CAF) विकसित किया गया है।

- (ii) इसका उद्देश्य उद्यमियों को विभिन्न विभागों से सम्बन्धित अनुमोदनों स्वीकृतियों अनापत्तियों एवं अनुज्ञापत्रों इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एवं आवेदन-पत्र तथा निस्तारण की समयबद्ध केन्द्रीय व्यवस्था उपलब्ध कराना है, ताकि उद्यम स्थापना में कम से कम समय खर्च हो तथा औद्योगिक विकास हेतु एक मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके।

J. हथकरघा/हस्तशिल्प/लघु उद्यम पुरस्कार

हथकरघा, हस्तशिल्प तथा लघु उद्यम क्षेत्र के प्रतिभावान बुनकरों, शिल्पियों तथा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने तथा निरन्तर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार दिया जाता है।

पुरस्कार का स्वरूपः— प्रत्येक पुरस्कार हेतु एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न एवं निम्न विवरणानुसार नगद धनराशि प्रदान की जाती हैः—

क्र०स०	श्रेणी	राज्य स्तरीय			जनपद स्तरीय	
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रथम	द्वितीय
1	हथकरघा (सूती व ऊनी)	₹15000	₹10000	₹7000	₹6000	₹4000
2	हस्तशिल्प	₹15000	₹10000	₹7000	₹6000	₹4000
3	लघु उद्यम	₹15000	₹10000	₹7000	₹6000	₹4000

K. हथकरघा/हस्तशिल्प विकास योजना

- I. स्वीकृत हथकरघा विकास योजना (IHDS) :— यह योजना अभिज्ञात हथकरघा समूहों में अथवा उससे बाहर स्थित हथकरघा बुनकरों के सतत विकास को सुविधा प्रदान कर एक सामंजस्यपूर्ण, स्वनिर्भर और प्रतिस्पर्धापूर्ण सामाजिक-आर्थिक इकाई में परिणत करने का प्रयास है।

- योजनान्तर्गत सामूहिक विकास कार्यक्रम के तहत 300–500 हथकरघा बुनकर समूहों को उक्त मदों पर अधिकतम ₹0 60.00 लाख, 3 वर्षों की परियोजना अवधि के लिए देय है। इसमें केन्द्रीय, राज्य और कार्यान्वयन एजेन्सी/लाभार्थी का हिस्सा सम्मिलित है।

- गुप एप्रोच योजना के तहत 10 अथवा अधिक बुनकर समूह के लिए कौशल उन्नयन व कार्यशाला निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देय है।

II. महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना :— यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 से भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से क्रियान्वित है। इस योजना का मूल उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को स्थाभाविक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना में मृत्यु तथा आंशिक व पूर्ण निःशक्तता की दशा में बीमा कवर की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

III. हैक्यार्न पर 10 प्रतिशत छूट कार्ड योजना :— भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (NHDC) लखनऊ के माध्यम से बुनकरों द्वारा कॉटन व सिल्क यार्न की खरीद पर 10 प्रतिशत छूट की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

IV. बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना :— यह योजना बुनकरों को तकनीकी सहायता, फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने तथा उद्यमिता विकास देश के वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित है।

- इसमें प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों, SHG एवं व्यक्तिगत बुनकरों को लाभ दिया गया है।
- इसमें वीवर क्रेडिट कार्ड के आधार पर बुनकरों को कार्यशील पूँजी प्रदान की जाती है।
- प्रति बुनकर क्रेडिट की सीमा रु0 2.00 लाख निर्धारित है।
- रु0 25000.00 तक किसी मार्जिन मनी की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु इससे अधिक की लिमिट पर 20 प्रतिशत मार्जिन मनी आवश्यक है।
- इसमें सरकारी सहायता के रूप में अधिकतम रु0 4200 प्रति बुनकर की दर से मार्जिन मनी सहायता है।
- क्रेडिट कार्ड सामान्तया 3 वर्ष के लिए वैध होता है।

V. शिल्प रत्न पुरस्कार योजना :—इस योजनान्तर्गत जनपद में 15 वर्ष या अधिक समय से कार्य कर रहे अनुभवी शिल्पियों को शिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस योजना में आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें 25 व्यक्तियों को रु0 1.00 लाख प्रति व्यक्ति की पुरस्कार राशि प्रदान की जायेगी।

3. जिला उद्योग केन्द्र की विभागीय उपलब्धियाँ वर्ष 2016–17 :–

I. उद्योग आधार की प्रगति वर्ष 2016–17 (माह मार्च 2017 तक)

मद	मैमोरेण्डम फाईल संख्या (क्रमिक)			पूँजी विनियोजन (करोड़ ₹ में)			रोजगार		
	विनिर्माण	सेवा	कुल	विनिर्माण	सेवा	कुल	विनिर्माण	सेवा	कुल
सूक्ष्म	95	64	159	3.18	1.89	5.07	514.00	210.00	724.00
लघु	15	2	20	14.01	2.60	16.61	166.00	43.00	209.00
माध्यम	-	1	1	-	5.00	5.00	-	65.00	65.00
योग	113	67	180	17.19	9.49	26.68	680.00	318.00	998.00

II. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :– इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा संचालित रोजगारपरक सभी योजनाओं की जानकारी कार्यशालाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है, ताकि लोग उसका लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित कर सकें। वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	दो दिवसीय आयोजित कार्यक्रम		21 दिवसीय आयोजित कार्यक्रम	
	संख्या	प्रतिभागी	संख्या	प्रतिभाग
1	07	229	02	54

III. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :– भारत सरकार की इस योजना में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उद्योग एवं सेवा मद हेतु अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जाता है। वर्ष 2016–17 में योजना की प्रगति निम्न प्रकार है :–

लाभान्वित कराये गये अभ्यर्थियों की संख्या	धनराशि लाख रु0 में	प्राप्त रोजगार
26	97.6574	64

IV. विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 :– योजना में मदवार लाभान्वित इकाईयों की संख्या :–

पूँजी निवेश	ब्याज उपादान	विद्युत प्रतिपूर्ति	वैट प्रतिपूर्ति	आईएसओ प्रमाणीकरण	अन्य
03	21	08	08	–	–

4. खादी एवं ग्रामोद्योग

जनपद के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवक एवं युवतियों एवं पुरुष/महिलाओं को स्वरोजगार के उद्देश्यार्थ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कुटीर उद्योगों के स्थापना हेतु निम्नलिखित योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना राज्य सरकार एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना भारत सरकार के माध्यम से संचालित है। उल्लेखनीय यह है कि, वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) पूर्णरूप से ऑनलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत संचालित है।

- 4.1 खादी ग्रामोद्योग की व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना— ग्रामीण क्षेत्र एवं ग्रामों से जुड़े कस्बों व स्थानीय बाजारों में लाभार्थियों को स्वयं का छोटे-छोटे उद्योग स्थानार्थ बैंकों के माध्यम से अधिकतम रु0 2.00 लाख तक पूँजी निवेश हेतु बैंक वित्त पोषण किया जाता है। योजना में प्रदत्त ऋण पर बैंकों का निर्धारित ब्याज मध्ये 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जाना होता है तथा अन्तर ब्याज अधिकतम 10 प्रतिशत तक उद्यमी के पक्ष में सीधे बैंक को उद्यमी के खाते में जमा हेतु बैंक द्वारा प्राप्त दावों के आधार पर जिला योजना से प्राप्त बजट से किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु धनराशि रु0 132.50 लाख का आर्थिक ऋण वितरण कर 30 इकाईयों की स्थापना की गई है, तथा 84 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रु0 4.39 लाख की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपयोग कर विगत लाभार्थियों को समिलित करते हुये 163 लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित किया गया है।
- 4.2 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0)— योजना के अन्तर्गत विभिन्न कुटीर उद्योगों के स्थापनार्थ ग्रामोद्योगी परियोजना में उत्पादन/सेवा क्षेत्र के उद्योग स्थापित किये जा सकेंगे। इस योजना के तहत 18 वर्ष के अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। उत्पादन क्षेत्र एवं सेवा के क्षेत्र उद्योग हेतु क्रमशः रु0 25.00 लाख एवं रु0 10.00 लाख तक की ऋण आर्थिक सहायता का प्राविधान है। योजना के अन्तर्गत राज्य के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य एवं अनुसूचित जाति/अन0जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक/महिला/भूतपूर्व सौनिक आदि को 35 प्रतिशत वित्तीय सहायता/सब्सिडी अनुमन्य कराये जाने का प्राविधान है।

योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से धनराशि रु0 140.30 लाख का ऋण बैंकों से आर्थिक ऋण वितरण कर 26 इकाईयों की स्थापना करते हुये लाभान्वित किया गया तथा स्थापित उद्योग के माध्यम से 91 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की छ: वर्षों की प्रगति विवरण

वर्ष	योजना का नाम	स्थापित इकाई संख्या	रोजगार संख्या
2011–12	व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना	23	47
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन	52	99

कार्यक्रम			
2012–13	व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना	18	47
	प्रधानमंत्री रोजगार सूजन कार्यक्रम	20	34
2013–14	व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना	14	48
	प्रधानमंत्री रोजगार सूजन कार्यक्रम	15	48
2014–15	व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना	19	49
	प्रधानमंत्री रोजगार सूजन कार्यक्रम	24	56
2015–16	व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना	23	59
	प्रधानमंत्री रोजगार सूजन कार्यक्रम	40	110
2016–17	व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना	30	84
	प्रधानमंत्री रोजगार सूजन कार्यक्रम	26	91

पर्यटन

जनपद का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र हे, जिसमें छोटी-छोटी पहाड़ियों से लेकर ऊँची-ऊँची हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलायें हैं। घाटियों में किलकारियां भरती शीतल जल की नदियां हैं। पर्यटन की दृष्टि से यह जनपद अत्यधिक सम्भावनाओं युक्त है। जनपद का प्राकृतिक सौन्दर्य नदियां, पर्वत श्रृंखलायें, वन क्षेत्र उच्च हिमालयी बुर्याल एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर्यटकों के आकर्षण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं।

GOAT VILLAGE, NAG TIBBA

Goat village Nag Tibba is a successful traditionally curated and crafted tourist destination at 7700 ft elevation on the trek to Nag Tibba peak. It is a private enterprise which gives visitors a valuable experience of spending time in the lap of nature amongst local culture and cuisine. Thousands of tourists spend time at this destination amongst the lap of nature.

RAFTING IN GANGA RIVER

The stretch of the Ganga river between Kaudialaya and Mini-ki-reti is popular for white water rafting as it has Grade 1,2,3,4 and 5 rapids/river portions. Each year thousands of adventure tourists enjoy rafting on the Ganga river. This has led to the development of ancillary facilities at places like Kaudiyala, Shivpuri, Bharmapuri and Mini-ki-reti. This is the source of livelihood for thousands of people.

The rafting season is from October to June.

जनपद में इको टूरिज्म के विकास और विस्तार में जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जी0आई0एस0) महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जनपद टिहरी गढ़वाल में पर्यटन का स्वरूप देखने से पहले यदि उत्तराखण्ड राज्य की पर्यटन की दृष्टि से स्थिति जानी जाये तो अधिक उपर्युक्त होगा। उत्तराखण्ड में चार पावन धाम बर्फ से आच्छादित हिमालय की चोटियों, झरनों, नदियां, विख्यात पर्यटन स्थल इन सभी की यात्रा करने के स्रोत स्थलों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. मुनि की रेती :- पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित छोटा सा नगर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अंकित है। यहाँ लाखों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष योग साधना हेतु आते हैं। गंगा तट पर बने दर्जनों आश्रम, योग एवं ध्यान की शिक्षा के प्रसिद्ध केन्द्र हैं।
2. ब्रह्मपुरी :- मुनि की रेती से लगभग 8 किमी0 की दूरी पर स्थित यह एकान्त स्थल गंगा के किनारे बहुत ही मनोरम एवं योग साधना का उपर्युक्त स्थल है। यहां पर पर्यटन की आधुनिक विद्या रीवर राफिटिंग की सुविधा उपलब्ध है।
3. शिवपुरी :- ऋषिकेश से 25 किमी0 की दूरी पर गंगा नदी पर रीवर राफिटिंग क्रिया का सर्वोत्तम स्थल है जहाँ कई राष्ट्रीय स्तर की कम्पनी स्थापित है। साहसिक पर्यटन के मानचित्र पर शिवपुरी की पहचान अब विदेशों तक हो चुकी है।
4. ब्यासी :- ऋषिकेश से 31 किमी0 दूर केदार-बद्री यात्रा मार्ग का यह प्रमुख एवं परम्परागत पड़ाव स्थल है जो गंगा तट पर साल के घने जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ पर मार्गीय सुविधा बहुतायत में उपलब्ध है।
5. कौड़ियाला :- मार्गीय सुविधा के लिये अभी कुछ ही वर्षों में यह स्थल विकसित हुआ है। रीवर राफिटिंग के लिये यह एक अच्छा केन्द्र है, जहाँ रात्रि विश्राम हेतु पर्यटक आवास गृह एवं अनेकों होटल भी उपलब्ध हैं।
6. देवप्रयाग :- गढ़वाल के प्रमुख तीर्थ स्थलों में देवप्रयाग का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यह नगर पवित्र भागीरथी एवं अलकनन्दा नदियों के संगम पर बसा है। गढ़वाल के पंच प्रयागों में देवप्रयाग प्रमुख स्थल है। यहाँ पर अन्य दर्शनीय स्थल संगमघाट, रघुनाथ प्राचीन मन्दिर, टील टोण्डेश्वर एवं बेताल शिला बागी हैं। यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं।

7. कैम्पटी फॉल :— कैम्पटी फॉल जनपद का दूसरा सर्वाधिक पर्यटक आकर्षण वाला स्थल है जो विख्यात पर्यटन नगरी मसूरी से 13 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ का प्राकृतिक झरना आकर्षक है, ग्रीष्मकाल में लगभग 10 हजार पर्यटक प्रतिदिन यहाँ मनोरंजन के लिये आते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी का व्यवसाय काफी अच्छा है।
8. धनोल्टी :— जनपद टिहरी गढ़वाल का प्राकृतिक सौन्दर्य एवं जलवायु की दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त यह छोटा सा कस्बा है, जो मसूरी चम्बा मार्ग के मध्य में स्थित है और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीष्मकाल में यहाँ पर्यटकों का आगमन होता है। यहाँ देवदार के घने वन हिमाच्छादित हिमालय की लम्बी श्रृंखला बहुत सुन्दर व स्पष्ट दिखाई देती हैं, और निःसंदेह मन को मोह लेती है।
9. सुरकुण्डा देवी :— गगन चुम्बी पर्वत शिखर पर लगभग 10 हजार फुट की ऊँचाई पर भव्य सुरकुण्डा देवी का मन्दिर विराजमान है जो हजारों श्रद्धालुओं का प्रतिदिन आस्था का केन्द्र है। यह धनोल्टी के समीप मुख्य मोटर मार्ग पर कद्दूखाल से 2 कि०मी० पैदल मार्ग पर स्थित है। भगवान शिव की पत्नी सती की प्राचीन ऐतिहासिक कथा से जुड़ा यह एक सिद्धपीठ है।
10. कुन्जापुरी :— ऋषिकेश से 28 कि०मी० की दूरी पर स्थित यह दूसरा सिद्धपीठ है, जहाँ सती का कुन्ज भाग गिरा था। ऋषिकेश—टिहरी मार्ग पर हिण्डोलाखाल नाम स्थान से 05 कि०मी० के लिंक मार्ग पर एक पर्वत शिखर पर उक्त मन्दिर स्थित है। जो हजारों श्रद्धालुओं का आस्था का केन्द्र है। नवरात्र के दिनों में यहाँ विशाल मेला का आयोजन किया जाता है, एवं कुन्जापुरी से सूर्योदय एवं सूर्यास्त की विहंगम दृश्यावलोकन होता है।
11. चन्द्रबदनी :— यह सिद्धपीठ देवप्रयाग—टिहरी मार्ग के जामणीखाल नामक स्थल से लिंक मार्ग पर नैखरी के समीप एक पर्वत शिखर पर स्थित है। तीनों सिद्धपीठों की स्थिति से ऐसा लगता है कि मानो तीनों ही पर्वत शिखर एक दूसरे की प्रतिकृति हैं। यहाँ से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियाँ स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं।
12. चम्बा :— गंगोत्री—यमुनोत्री मार्ग का यह प्रमुख पड़ाव स्थल सुखद ठंडी जलवायु युक्त मार्गीय विश्राम स्थल है। यहाँ से हिमालय का दृश्यावलोकन किया जा सकता है।
13. नई टिहरी :— जनपद टिहरी गढ़वाल का नव निर्मित जनपद मुख्यालय और आधुनिक निर्माण कला का उत्तराखण्ड राज्य का पहला सुन्दर एवं विशाल नगर है। पुरानी टिहरी बांध जलाशय में ढूबने के कारण नई टिहरी का निर्माण किया गया। नई टिहरी शहर की वर्ष भर रहने वाली शीतल जलवायु एवं नई टिहरी शहर से अवलोकन होने वाले पर्वत श्रृंखलायें एवं टिहरी बांध से निर्मित विशाल जलाशय का अवलोकन पर्यटकों हेतु प्रमुख आकर्षण का केन्द्र है।
14. सेम—मुखेम :— जनपद के विकास खण्ड प्रतापनगर के अन्तर्गत यह प्रमुख तीर्थ स्थल एवं सिद्धपीठ है जो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ास्थली के रूप में पुरातन काल से ही प्रसिद्ध है। यहाँ लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं, यहाँ पर नागराजा का प्राचीन मन्दिर मुखेम में स्थित है तथा भव्य है। मुखेम से लगभग 05 कि०मी० की दूरी पर पैदल चलकर सेम राजा का मन्दिर स्थित है जिसकी धार्मिक मान्यता दूर—दूर तक है। वर्तमान में राज्य सरकार इसे पांचवे सिद्धपीठ में विकसित कर रही है।

- 15.** खतलिंग ग्लेशियर :— विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत घुत्तू नामक मोटर हेड से खतलिंग ग्लेशियर की पैदल यात्रा पर्यटन के लिये बहुत महत्वपूर्ण है जो लगभग 52 कि०मी० की दूरी पर है यह भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। जहाँ प्रतिवर्ष हजारों देशी विदेशी पर्यटक प्रकृति का आनन्द लेने जाते हैं।
- 16.** पंवाली काण्ठा :— घुत्तू से लगभग 15 कि०मी० की पैदल दूरी पर प्राकृतिक सौन्दर्य से पूर्ण यह पैदल मार्गीय पड़ाव स्थल बहुत ही रमणीक है और दूर-दूर तक फैला हरा-भरा बुग्याल है। बूढ़ाकेदार होकर गंगोत्री से आने जाने वाले पैदल यात्री बूढ़ाकेदार-घुत्तू-पंवाली काण्ठा- त्रियुगीनारायण होकर केदारनाथ जाते हैं।
- 17.** सहस्रताल :— जैसा कि नाम से ही विदित है कि इस स्थल पर दूर-दूर तक अनेकों छोटे-बड़े प्राकृतिक कुण्ड एवं झील स्थित हैं।
- 18.** मासर ताल :— यह ताल भी विशाल तथ सहस्र ताल जाने के दूसरे पैदल मार्ग में आता है। यह बूढ़ाकेदार से लगभग 15 कि०मी० की दूरी पर स्थित है
- 19.** अन्य ताल एवं स्थल :— इस क्षेत्र में अन्य अनेक प्राकृतिक ताल बिखरे पड़े हैं जो कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इनमें मुख्य जरालताल, मन्जाड ताल आदि प्रमुख हैं।
- 20.** अन्य पर्यटक स्थल :— जनपद में जौनपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत अनेक पर्यटन रुचि के स्थल है, जिनमें देवलसारी, नागटिबा, भद्रराज मन्दिर आदि प्रमुख हैं, इनके अतिरिक्त विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत अनेक पुरातात्विक महत्व के मन्दिर, स्मारक जिनमें बंजिगा स्थित नन्दा देवी मन्दिर तथा पाख स्थित लक्ष्मी नारायण मन्दिर प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में गुरु माणिकनाथ मन्दिर, खेट पर्वत आदि पर्यटक स्थल हैं।
- 21.** विकास योजनायें :— जनपद में पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सेक्टर, केन्द्रपोषित एवं जिला योजना के माध्यम से अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं :—
- 1)** आवास सुविधायें :— पर्यटन विभाग द्वारा जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रात्रि विश्राम हेतु पर्यटक आवास गृहों का निर्माण कराया गया है, जिनका संचालन गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल विश्व विद्यालय के माध्यम से कराया जा रहा है। जनपद में वर्तमान में 12 पर्यटक आवास गृह जिनमें 454 शैय्यायें हैं व 6 पर्यटक अतिथि गृह और 3 सुविधा केन्द्र स्थापित हैं।
 - 2)** साहसिक पर्यटन इकाईयाँ :— वर्तमान में जनपद में साहसिक पर्यटन की 290 राफिटंग कम्पनियाँ संचालित हैं जिसमें अनुमानित 2000 व्यक्ति कार्यरत हैं।
 - 3)** पर्यटन सांख्यिकी :— जनपद में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 954927 देशी और 21947 विदेशी पर्यटकों का आवागमन हुआ है।
 - 4)** साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण कार्यक्रम :— साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु जिला योजना 2016–17 में रु० 11.25 लाख की धनराशि अवमुक्त हुयी है, उक्त धनराशि का उपयोग निम्नवत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया गया :—

क्र0सं0	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों की संख्या	व्यय की गयी धनराशि (रु0 में)
1	10 दिवसीय एडवेंचर फाउन्डेशन कोर्स	30	295000
2	05 दिवसीय वाटर स्कीर्ज कोर्स	20	150000
3	10 दिवसीय एडवेंचर फाउन्डेशन कोर्स, टिहरी झील	30	360000
4	10 दिवसीय क्याकिंग एवं कैनोइंग कोर्स	40	320000
	कुल योग	120	1125000

अध्याय ३

पलायन की स्थिति

इस अध्याय में राज्य के विभिन्न ग्राम पंचायतों में कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर एकत्र किये गये आकड़ों का विश्लेषण कर जनपद में पलायन के कई पहलुओं को सामने लाया गया है।

मुख्य व्यवसाय

आकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य के ग्रामों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, तत्पश्चात मजदूरी और सरकारी सेवा है। जनपद तथा राज्य में ग्राम पंचायत स्तर से प्राप्त आकड़ों को नीचे दी गई तालिकाएं स्पष्ट करती हैं।

Table: Gram panchayat level main occupation (district average)

Tehri Garhwal	30.32	50.04	0.82	1.47	7.83	9.52	100.00
---------------	-------	-------	------	------	------	------	--------

Table: Gram panchayat level main occupation (State average)

State Name	ग्राम पंचायतों का मुख्य व्यवसाय (लगभग प्रतिशत में)						Total
	मजदूरी	कृषि	उद्यान	डेरी	सरकारी सेवा	अन्य कार्य	
Uttarakhand	32.22	43.59	2.11	2.64	10.82	8.63	100.00

अस्थायी और स्थायी पलायन

इस खण्ड के अन्तर्गत अस्थायी और स्थायी पलायन की जानकारी का मूलरूप से विश्लेषण किया गया है। पिछले 10 वर्षों में 934 ग्रामों/तोकों से कुल 71509 व्यक्तियों द्वारा अस्थायी रूप से पलायन किया गया है, हालांकि वे समय-समय पर अपने घरों में आना-जाना करते हैं क्योंकि उनके द्वारा स्थायी रूप से पलायन नहीं किया गया है।

पिछले 10 वर्षों में 585 ग्राम पंचायतों से 18830 व्यक्तियों द्वारा पूर्णरूप से स्थायी पलायन किया गया है, जो कि गम्भीर चिन्ता का विषय है। आकड़े दर्शाते हैं कि जनपद के सभी विकास खण्डों में स्थायी पलायन की तुलना में अस्थायी पलायन अधिक हुआ है।

पलायन के मुख्य कारण

पलायन का मुख्य कारण आजीविका/रोजगार की समस्या के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं में कमी है। विस्तृत आकड़े नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है।

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन के कारण (लगभग प्रतिशत में)								Total
		आजीविका / रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का आभाव (प्रतिशत)	शिक्षा सुविधा का आभाव (प्रतिशत)	इन्फ्राटक्चर (सड़क, बिजली, पानी व अन्य का आभाव) (प्रतिशत)	कृषि भूमि में उत्पादकता / पैदावार की कमी (प्रतिशत)	परिवार / सगे सम्बन्धियों की देखा-देखी पलायन करना (प्रतिशत)	जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने करने के कारण (प्रतिशत)	अन्य कोई विशेष कारण (प्रतिशत)	
Tehri Garhwal	Bhilangna	64.27	4.41	20.29	2.80	3.20	1.04	2.30	1.70	100.00
Tehri Garhwal	Chamba	44.29	6.69	18.76	4.45	7.25	3.25	8.10	7.20	100.00
Tehri Garhwal	Deoprayag	59.98	9.36	18.75	1.89	4.05	1.73	2.75	1.50	100.00
Tehri Garhwal	Jakhnudhar	47.10	8.79	16.11	2.55	5.16	2.38	7.37	10.55	100.00
Tehri Garhwal	Jaunpur	57.52	5.70	13.58	1.80	4.66	1.04	3.96	11.75	100.00
Tehri Garhwal	Kirtinagar	54.13	10.21	18.09	5.07	3.29	1.36	3.47	4.39	100.00
Tehri Garhwal	Narendranagar	47.20	7.95	20.37	3.55	11.42	3.65	2.55	3.30	100.00
Tehri Garhwal	Pratapnagar	26.27	13.45	13.63	5.27	12.39	10.80	6.20	12.00	100.00
Tehri Garhwal	Thauldhar	38.97	10.65	22.28	3.13	11.16	2.76	7.16	3.89	100.00

जनपद का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन के कारण (लगभग प्रतिशत में)								Total
	आजीविका / रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का आभाव (प्रतिशत)	शिक्षा सुविधा का आभाव (प्रतिशत)	इन्फ्राटक्चर (सड़क, बिजली, पानी व अन्य का आभाव) (प्रतिशत)	कृषि भूमि में उत्पादकता / पैदावार की कमी (प्रतिशत)	परिवार / सगे सम्बन्धियों की देखा-देखी पलायन करना (प्रतिशत)	जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने करने के कारण (प्रतिशत)	अन्य कोई विशेष कारण (प्रतिशत)	
Tehri	52.43	7.84	18.24	3.07	6.17	2.47	4.26	5.52	100.0

Table : District wise main reasons for migration from gram panchayats								Total
जनपद का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन के कारण (लगभग प्रतिशत में)							
	आजीविका / रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का आभाव (प्रतिशत)	शिक्षा सुविधा का आभाव (प्रतिशत)	इन्फ्राटक्चर (सड़क, बिजली, पानी व अन्य का आभाव) (प्रतिशत)	कृषि भूमि में उत्पादकता / पैदावार की कमी (प्रतिशत)	परिवार / सगे सम्बन्धियों की देखा-देखी पलायन करना (प्रतिशत)	जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने करने के कारण (प्रतिशत)	अन्य कोई विशेष कारण (प्रतिशत)
Garhwal								0

Table : State wise main reasons for migration from gram panchayats								Total	
State Name	ग्राम पंचायत से पलायन के कारण (लगभग प्रतिशत में)								
	आजीविका / रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का आभाव (प्रतिशत)	शिक्षा सुविधा का आभाव (प्रतिशत)	इन्फ्राटक्चर (सड़क, बिजली, पानी व अन्य का आभाव) (प्रतिशत)	कृषि भूमि में उत्पादकता / पैदावार की कमी (प्रतिशत)	परिवार / सगे सम्बन्धियों की देखा-देखी पलायन करना (प्रतिशत)	जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने करने के कारण (प्रतिशत)	अन्य कोई विशेष कारण (प्रतिशत)	
Uttarakhand	50.16	8.83	15.21	3.74	5.44	2.52	5.61	8.48	100.00

आयु वर्गवार पलायन

इस खण्ड में ग्राम पंचायतों से पलायन करने वालों की आयु का विश्लेषण किया गया है। आकड़ों में स्पष्ट हुआ है कि लगभग 40 प्रतिशत पलायन 26 से 35 वर्ष के आयु वर्ग द्वारा किया गया है। विभिन्न विकासखण्डों और जनपद की विस्तृत जानकारी निम्न तालिका में दी गई है।

Table: District and Block wise age of migrants from gram panchayats				Total	
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन करने वालों की आयु (लगभग प्रतिशत में)			
		25 साल से कम आयु वर्ग (वर्तमान में)	26 से 35 आयु वर्ग (वर्तमान में)	35 साल से अधिक आयु वर्ग (वर्तमान में)	
Tehri Garhwal	Bhilangna	28.42	47.05	24.53	100.00
Tehri Garhwal	Chamba	28.85	34.69	36.46	100.00
Tehri Garhwal	Deoprayag	30.18	39.68	30.14	100.00
Tehri Garhwal	Jakhnidanhar	19.94	37.18	42.89	100.00
Tehri Garhwal	Jaunpur	25.31	45.92	28.77	100.00
Tehri Garhwal	Kirtinagar	26.84	28.73	44.43	100.00
Tehri Garhwal	Narendranagar	34.70	40.35	24.95	100.00
Tehri Garhwal	Pratapnagar	23.15	48.00	28.85	100.00

Table: District and Block wise age of migrants from gram panchayats					Total	
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन करने वालों की आयु (लगभग प्रतिशत में)				
		25 साल से कम आयु वर्ग (वर्तमान में)	26 से 35 आयु वर्ग (वर्तमान में)	35 साल से अधिक आयु वर्ग (वर्तमान में)		
Tehri Garhwal	Thauldhar	40.29	37.41	22.30	100.00	

Table: District and Age wise Migration Status from gram panchayats				Total	
जनपद का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन करने वालों की आयु (लगभग प्रतिशत में)				
	25 साल से कम आयु वर्ग (वर्तमान में)	26 से 35 आयु वर्ग (वर्तमान में)	35 साल से अधिक आयु वर्ग (वर्तमान में)		
Tehri Garhwal	29.26	40.92	29.82	100.00	

Table: State and Age wise Migration Status from gram panchayats				Total	
State Name	ग्राम पंचायत से पलायन करने वालों की आयु (लगभग प्रतिशत में)				
	25 साल से कम आयु वर्ग (वर्तमान में)	26 से 35 आयु वर्ग (वर्तमान में)	35 साल से अधिक आयु वर्ग (वर्तमान में)		
Uttarakhand	28.66	42.25	29.09	100.00	

पलायन के गन्तव्य

ग्राम पंचायतों से हो रहे पलायन के गन्तव्य का विश्लेषण कर सामने आये आकड़ों को इस खण्ड में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट हुआ है कि जनपद के ग्राम पंचायतों से लगभग 40 प्रतिशत पलायन राज्य के अन्य जनपदों में है जबकि 28 प्रतिशत पलायन राज्य के बाहर हुआ है।

Table: District and Block wise destination of migrants from Gram Panchayats					Total	
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन कहाँ किया गया (लगभग प्रतिशत में)				
		नजदीकी कस्बों में	जनपद मुख्यालय	राज्य के अन्य जनपदों में	राज्य से बाहर	देश से बाहर
Tehri Garhwal	Bhilangna	11.58	7.04	45.78	31.54	4.07
Tehri Garhwal	Chamba	23.64	16.18	28.09	27.23	4.86
						100.00

Table: District and Block wise destination of migrants from Gram Panchayats						Total	
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन कहाँ किया गया (लगभग प्रतिशत में)					
		नजदीकी कस्बों में	जनपद मुख्यालय	राज्य के अन्य जनपदों में	राज्य से बाहर	देश से बाहर	
Tehri Garhwal	Deoprayag	8.55	6.24	36.56	45.87	2.78	100.00
Tehri Garhwal	Jakhnidhar	10.70	15.94	42.40	23.45	7.51	100.00
Tehri Garhwal	Jaunpur	27.83	2.74	37.76	28.82	2.85	100.00
Tehri Garhwal	Kirtinagar	26.23	6.79	43.13	22.48	1.37	100.00
Tehri Garhwal	Narendranagar	22.12	18.17	39.90	18.59	1.22	100.00
Tehri Garhwal	Pratapnagar	9.13	8.24	70.26	12.32	0.05	100.00
Tehri Garhwal	Thauldhar	26.04	6.89	29.98	34.07	3.02	100.00

Table: District wise destination of migrants from Gram Panchayats					Total	
जनपद का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन कहाँ किया गया (लगभग प्रतिशत में)					
	नजदीकी कस्बों में	जनपद मुख्यालय	राज्य के अन्य जनपदों में	राज्य से बाहर		
Tehri Garhwal	17.73	9.42	40.78	28.98	3.09	100.00

Table: State wise destination of migrants from Gram Panchayats					Total	
State Name	ग्राम पंचायत से पलायन कहाँ किया गया (लगभग प्रतिशत में)					
	नजदीकी कस्बों में	जनपद मुख्यालय	राज्य के अन्य जनपदों में	राज्य से बाहर		
Uttarakhand	19.46	15.18	35.69	28.72	0.96	100

वर्ष 2011 के बाद निर्जन ग्रामों की संख्या

इस खण्ड में 2011 के बाद निर्जन हुए राजस्व ग्रामों/तोकों/मजरों का विकासखण्ड वार सारांश प्रस्तुत किया गया है तथा जिनमें सड़क सुविधा का अभाव, बिजली का अभाव, पेयजल का अभाव और पी.एच.सी उपलब्धता 1 किमी के अन्दर नहीं है, वाले ग्रामों का विवरण निम्न तालिकाओं के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

Table: District and Block wise Number of uninhabited revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (De-populated After 2011)

Tehri Garhwal	Bhilangna	4
Tehri Garhwal	Chamba	14
Tehri Garhwal	Deoprayag	10
Tehri Garhwal	Jakhnidhar	1
Tehri Garhwal	Jaunpur	12
Tehri Garhwal	Kirtinagar	2
Tehri Garhwal	Narendranagar	3
Tehri Garhwal	Thauldhar	12
Total		734

Table: District wise Number of uninhabited revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (De-populated After 2011)

जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम / तोक (वर्तमान में)
Tehri Garhwal	58

Table: District wise Number of uninhabited revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Not Connected by Road)

जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम / तोक (वर्तमान में)
Tehri Garhwal	44

Table: District and Block wise Number of uninhabited revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Drinking water not within 1Km)

Tehri Garhwal	Bhilangna	2
Tehri Garhwal	Chamba	6

Table: District and Block wise Number of uninhabited revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Drinking water not within 1Km)

Tehri Garhwal	Deoprayag	10
Tehri Garhwal	Jakhnidhar	1
Tehri Garhwal	Jaunpur	4
Tehri Garhwal	Kirtinagar	2
Tehri Garhwal	Narendranagar	2
Tehri Garhwal	Thauldhar	6
	Total	399

Table: District wise Number of revenue uninhabited villages/toks at Gram Panchayat Level (Drinking water not within 1Km)

जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम / तोक (वर्तमान में)
Tehri Garhwal	33
Total (State)	399

Table: District and Block wise Number of uninhabited revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (PHC not available)

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम / तोक (वर्तमान में)
Tehri Garhwal	Bhilangna	4
Tehri Garhwal	Chamba	14
Tehri Garhwal	Deoprayag	10
Tehri Garhwal	Jakhnidhar	1
Tehri Garhwal	Jaunpur	12
Tehri Garhwal	Kirtinagar	2
Tehri Garhwal	Narendranagar	3
Tehri Garhwal	Thauldhar	12
	Total	660

ऐसे ग्राम जहां अन्य दूसरे ग्रामों/कस्बों/तोकों से पिछले 10 वर्षों में लोग पलायन कर निवास कर रहे हैं—

यह भाग उन ग्रामों का जिले एवं विकासखण्डवार संख्या का विवरण प्रस्तुत करता है, जहां दूसरे ग्राम/कस्बों/तोकों के लोग पलायन कर बस गए हैं।

Table: District and Block wise Number of villages where people have in-migrated and settled in last 10 years from other villages/ towns or small towns

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल ऐसे गाँव जहाँ पिछले 10 वर्षों में अन्य गाँव/शहर/कस्बों से पलायन कर उस गाँव में आकर बसे हो:
Tehri Garhwal	Bhilangna	NA
Tehri Garhwal	Chamba	12
Tehri Garhwal	Deoprayag	7
Tehri Garhwal	Jakhnidhar	NA
Tehri Garhwal	Jaunpur	9
Tehri Garhwal	Kirtinagar	25
Tehri Garhwal	Narendranagar	2
Tehri Garhwal	Pratapnagar	NA
Tehri Garhwal	Thauldhar	21
	Total	850

ऐसे गांव जहां 2011 की जनगणना के बाद 50% तक पलायन हुआ है—

यह खण्ड उन राजस्व ग्रामों/तोकों की संख्या को जनपद और विकासखण्ड वार सांराश का विवरण प्रस्तुत करता है जिनमें मोटर मार्ग का अभाव, विद्युत का अभाव, एक किमी तक पानी का अभाव, पी0एच0सी0 की अनुपलब्धता, वाले ग्राम शामिल हैं, जिनकी जनसंख्या 2011 के बाद 50 प्रतिशत कम हुई है।

Table: District and Block wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011)

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम / तोक (वर्तमान में)
Tehri Garhwal	Bhilangna	4
Tehri Garhwal	Chamba	8
Tehri Garhwal	Deoprayag	2
Tehri Garhwal	Jakhnidhar	10

Table: District and Block wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011)

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम / तोक (वर्तमान में)
Tehri Garhwal	Jaunpur	5
Tehri Garhwal	Kirtinagar	3
Tehri Garhwal	Narendranagar	8
Tehri Garhwal	Pratapnagar	18
Tehri Garhwal	Thauldhar	13
	Total	565

Table: District wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011)

जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम / तोक (वर्तमान में)
Tehri Garhwal	71
Total (state)	565

Table: District and Block wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011) (Not Connected by Road)

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम / तोक (वर्तमान में)
Tehri Garhwal	Bhilangna	2
Tehri Garhwal	Chamba	5
Tehri Garhwal	Deoprayag	2
Tehri Garhwal	Jakhnidhar	4
Tehri Garhwal	Jaunpur	1
Tehri Garhwal	Kirtinagar	2
Tehri Garhwal	Narendranagar	7
Tehri Garhwal	Pratapnagar	2
Tehri Garhwal	Thauldhar	11
	Total	367

Table: District wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011) (Not Connected by Road)	
जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम / तोक (वर्तमान में)
Tehri Garhwal	36
Total (State)	367

Table: District and Block wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011) (Drinking water not within 1Km)		
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम / तोक (वर्तमान में)
Tehri Garhwal	Bhilangna	1
Tehri Garhwal	Chamba	3
Tehri Garhwal	Deoprayag	2
Tehri Garhwal	Jakhnidhar	5
Tehri Garhwal	Kirtinagar	2
Tehri Garhwal	Narendranagar	2
Tehri Garhwal	Thauldhar	2
	Total	203

Table: District and Block wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011) (PHC not available)		
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम / तोक (वर्तमान में)
Tehri Garhwal	Bhilangna	4
Tehri Garhwal	Chamba	8
Tehri Garhwal	Deoprayag	2
Tehri Garhwal	Jakhnidhar	9
Tehri Garhwal	Jaunpur	5
Tehri Garhwal	Kirtinagar	3
Tehri Garhwal	Narendranagar	8
Tehri Garhwal	Pratapnagar	18
Tehri Garhwal	Thauldhar	13
	Total	510

**Table: District wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level
(Population reduced by 50% After 2011) (PHC not available)**

जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम / तोक (वर्तमान में)
Tehri Garhwal	70
Total (State)	510

अध्याय— 4

वर्तमान ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम

यह अध्याय वर्तमान में जनपद टिहरी गढ़वाल में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किए गए कार्यक्रमों के आंकड़े प्रस्तुत करता है जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होंगे।

ग्राम्य विकास विभाग

राज्य : उत्तराखण्ड मंडल : टिहरी गढ़वाल				15–04–2019 तक
ब्लॉकों की कुल संख्या	9			
ग्राम पंचायत की कुल संख्या	1,039			
I जॉब कार्ड				
जारी की गई जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	1.52			
श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	2.28			
सक्रिय जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	1.18			
सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	1.37			
(i) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति के श्रमिक (%)	10.4			
(ii) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के श्रमिक (%)	0.11			
II प्रगति	वित्तीय वर्ष 2018–2019	वित्तीय वर्ष 2017–2018	वित्तीय वर्ष 2016–2017	वित्तीय वर्ष 2015–2016
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	30.82	26.69	27.2	26.49
अब तक सृजित कार्य-दिवस (लाख में)	33.02	33.69	39.41	40.21
कुल एल.बी. का %	107.13	126.23	144.89	151.78
आनुपातिक एल.बी. के अनुसार %				
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जाति के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	10.39	9.88	9.83	10.01

कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जनजाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	0.11	0.07	0.08	0.05
कुल (%) में से महिला कार्य दिवस	73.02	71.85	71.48	69.09
प्रति घर प्रदान की गई रोजगार के औसत दिन	38.3	36.55	37.63	37.5
प्रति दिन प्रति व्यक्तियों औसत मजदूरी दर (₹.)	174.98	174.98	173.95	160.97
मजदूरी के 100 दिन पूरे किए हाउस होल्ड की कुल संख्या	1,793	1,608	1,815	2,960
कुल घरों ने काम किया (लाख में)	0.86	0.92	1.05	1.07
काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	0.97	1.04	1.19	1.21
काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या	114	128	140	132
III कार्य				
शून्य अनुभव के साथ ग्राम पंचायत की संख्या	18	8	4	35
शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या (नया + पिछला रुका हुआ) (लाख में)	0.08	0.11	0.1	0.06
चालू कार्यों की संख्या (लाख में)	0.04	0.04	0.05	0.03
पूरा किए गए कार्यों की संख्या	4,880	6,466	4,503	2,475
एन.आर.एम. व्यय का % (सार्वजनिक + व्यक्तिगत)	73.79	58.04	45.97	52.98
श्रेणी बी के कार्य का %	34.67	34.24	23.31	4.25
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	71.87	67.35	50.72	52.97

जनपद टिहरी के अन्तर्गत ब्लॉकों की एन.आर.एल.एम.स्वयं सहायता समूह एन.पी.ए.की स्थिति

(राशिलाख में)

क्र.सं	जिला	ब्लॉक	बकाया		एन.पी.ए.		एन.पी.ए. का %	
			अकाउंट की संख्या	राशि	अकाउंट की संख्या	एन.पी.ए.राशि	अकाउंट की संख्या	एन.पी.ए.राशि
11	टिहरी	देवप्रयाग	11	1	0	0	0	0
		नरेन्द्रनगर	10	2.61	0	0	0	0
कुल			21	3.61	0	0	0	0

निम्नलिखित तालिका में एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत गठित निष्क्रिय स्वयं सहायता समूहों
(SHG's) वर्ष 2019–20 की सूचना

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	जनपदान्तर्गत विकास खण्डवार कुल स्थापित स्वयं सहायता समूहों की संख्या	जनपदान्तर्गत विकास खण्डवार नये स्थापित किये गये स्वयं सहायता समूहों की संख्या	जनपदान्तर्गत विकास खण्डवार पुनर्स्थापित / पुनर्जीवित किये गये स्वयं सहायता समूहों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	जौनपुर	98	98	00	
2	चम्बा	81	59	22	
3	थौलधार	286	279	7	
4	भिलंगना	287	262	25	
5	प्रतापनगर	163	160	3	
6	जाखणीधार	280	264	16	
7	देवप्रयाग	282	278	4	
8	कीर्तिनगर	275	270	5	
9	नरेन्द्रनगर	399	385	14	
योग:-		2151	2055	96	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

वर्ष 2018–19 में जनपद टिहरी में पूरा किए गए सड़कों की लंबाई और उससे जुड़ी हुई बस्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

जिला	फिलोमीटर में पूरी की गई लंबाई	सड़क मार्ग से जुड़ी हुई बस्तियां
टिहरी	211.704	24

स्रोत: ओ.एम.एम.ए.एस.

उत्तराखण्ड में सामुदायिक अनुबंध के अंतर्गत सड़कों का विवरण:

पी.आई.यू.	सड़क का नाम / पुल का नाम	अब तक की पूर्ण की गई सड़क की लंबाई
जखोली	एल 040—तिलवाड़ा टिहरी 6 किमी से कोट लंगा	4.86
जखोली	एल 045—रेयरी से अरकुंड	5.75
कीर्ति नगर	नैनीसैण — पथवारा मोटर रोड	12.86
टिहरी -2	एल 022—नागनी से भाटूसैन	4.85

स्रोत: पी.एम.जी.एस.वार्ड.

राज्य गुणवत्ता मॉनिटर (एसक्यूएम) जिलेवार ग्रेडिंग सार रिपोर्ट (2018–19)

एस: संतोषजनक

एस.आर.आई.: संतोषजनक लेकिन सुधार की आवश्यकता है

यूः असंतोषजनक

जिला	निरीक्षणों की कुल संख्या	पूरा किया गया काम					गतिमान काम					रख—रखाव का काम				
		एस	एस.आर.आई.	यू	यू%	कुल	एस	एस.आर.आई.	यू	यू%	जबजंस	एस	एस.आर.आई.	यू	यू%	कुल
टिहरी	50	16	1	0	0.00%	17	26	2	0	0.00%	28	4	0	1	20.00%	5

स्रोत: आ.एम.एम.ए.एस.

अंतिम पांच वर्ष : 2015–2019

जिला	निरीक्षणों की कुल संख्या (संतोष जनक)	पूरा किया गया काम					गतिमान कार्य					रखकाम का रखाव				
		एस	एस.आर.आई.	यू	य %	कुल	एस	एस.आर.आई.	यू	यू%	कुल	एस	एस.आर.आई.	यू	यू%	कुल
टिहरी	275	66	1	0	0.00%	67	162	2	1	0.61%	165	41	1	1	2.33%	43

स्रोत: आ.एम.एम.ए.एस.

जनपद टिहरी में यू.के.एस.डी.एम. के अंतर्गत चल रही ट्रेनिंग नीचे दिया गया है:

वर्तमान में संचालित प्रशिक्षण 1436						
क्र.सं	क्षेत्र	जिला	सेक्टर का नाम	भागीदार का नाम	केंद्र का नाम	कार्य की भूमिका
1	गढ़वाल	टिहरी गढ़वाल	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	धन्या इन्फोमेडिया प्राइवेट लिमिटेड	धन्या इन्फोमेडिया प्राइवेट लिमिटेड	फील्ड इंजीनियर – आर.ए.सी.डब्ल्यू

प्रधानमंत्री आवास योजना

पिछले पांच वर्षों का विवरण

वर्ष 2018–19

जिला	निर्माणाधीन घर	वार्षिक लक्ष्य	संचयी पूर्ति	शौचालय	गैस चूल्हा	श्रेणी के अनुसार पूरा किया गया मकानः महिला	भूमिहीन	विकलांग
टिहरी	89	0	348	348		293	0	0

पी.एम.ए.वार्ड. 2017–18

जिला	निर्माणाधीन घर	वार्षिक लक्ष्य	संचयी पूर्ति	शौचालय	गैस चूल्हा	श्रेणी के अनुसार पूरा किया गया मकानः महिला	भूमिहीन	विकलांग
टिहरी	40	470	686	686	0	589	0	0

पी.एम.ए.वार्ड. 2016–17

जिला	निर्माणाधीन घर	वार्षिक लक्ष्य	संचयी पूर्ति	शौचालय	गैस चूल्हा	श्रेणी के अनुसार पूरा किया गया मकानः महिला	भूमिहीन	विकलांग
टिहरी	580	186	847	847	847	782	0	0

पी.एम.ए.वार्ड. 2015–16

जिला	निर्माणाधीन घर	वार्षिक लक्ष्य	संचयी पूर्ति	शौचालय	गैस चूल्हा	श्रेणी के अनुसार पूरा किया गया मकानः महिला	भूमिहीन	विकलांग
टिहरी	1427	397	696	696	696	573	0	0

पी.एम.ए.वार्ड. 2014–15:

जिला	निर्माणाधीन घर	वार्षिक लक्ष्य	संचयी पूर्ति	शौचालय	गैस चूल्हा	श्रेणी के अनुसार पूरा किया गया मकानः महिला	भूमिहीन	विकलांग
टिहरी	1746	955	285			9	0	0

जनपद टिहरी में वी.डी.ओ. के स्वीकृत और रिक्त पदों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

जिला	स्वीकृत पोस्ट	भरा हुआ पद	खाली पाद
टिहरी	91	65	26

पहाड़ी जिलों में ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। अल्मोड़ा में 50% से अधिक पद, चम्पावत में 50%, उत्तरकाशी में 40% और बागेश्वर में 38% पद खाली हैं। यह फील्ड स्टाफ (जमीनी स्तर पर कर्मचारियों) में कमी की ओर इशारा करता है जो जमीन स्तर पर नीतियों के कार्यान्वयन को प्रभावित करता है। वी.डी.ओ. की क्षेत्र में अधिक जिम्मेदारी के साथ उनकी दक्षता भी घट जाती है। जमीन पर बेहतर और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए।

उद्यान विभाग

उद्यान विभाग द्वारा फल, सब्जी, पुष्प आदि के क्षेत्र में चलाये जा रहे कार्यक्रमों को निम्नलिखित तालिकाओं के माध्यम से दर्शाया गया है:-

धनराशि लाख रु० मे									
क० स०	योजना / मद का नाम	मद	इकाई	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	वित्तीय	भौतिक
	जिला योजना								
1	0201- प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुत्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास	उद्यानीकरण	है०		40		20.00		
		फलपौध वितरण	सं०		8560		3500		
	1- फलपट्टी विकास 50 प्रति०रा०स०	लाभार्थी	सं०	2.00	196	1.00	65	0.00	342.00
	2-आलू विकास रु० 20000 प्रति है०	आलू विकास	है०	2.00	10.0	1.00	5.00	2.00	10.00
2	0292- उन्नतकिस्म के रोपण सामाग्री के उत्पादन हेतु राजसहायता								
	1. चयनित क्षेत्रों में विभिन्न फलों एवं फल पटियों का विकास 50 प्रति०रा०स०	आच्छादित क्षेत्रफल	है०	2.00	40.00	0.75	15.00	1.50	30.00
		लाभार्थी	सं०		208		67.00		135.00
	2. औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न निवेशों पर राज सहायता								89.00

	(क) फल पौध, सब्जी बीज परिवहन पर राज सहायता	फलपौध वितरण	सं०		26008	1.15	3700	1.50	8000.0 ०	1.80	20000
		सब्जी बीज वितरण	कु०		106.19		1.00		50.00		35.00
		सब्जी पौध वितरण	लाखमें	1.50	16.00		12.00		5.00		9.00
	(ख) औद्यानिक फसलों पर कीट व्याधि की रोकथाम 60 प्रतिराठ०स०	पौध सुरक्षा कार्य	है०	1.50	204.00	0.50	200.0 ०	0.50	250.00	0.50	90.00
	(ग) औद्यानिक औजार संयंत्रों के वितरण पर राज सहायता 50 प्रतिराठ०स०	औद्यानिक संयंत्र वितरण पाली सीट	स०	1.00	310.00	0.20	31.00	0.50	60.00	0.25	153.00
	(घ) उन्नतशील सिंचाइ व्यवस्था पर राज सहायता 75 प्रतिराठ०स०	पालीलाइनिंग टैक	संख्या	0.55	7.00	0.75	10.00	1.10	9.00	0.96	11.00
	(ङ) चयनित विकास खण्डों में महिला प्रविक्षण	महिलाओं को प्रशिक्षण	संख्या	0.70	200.00	0.35	100.0 ०	0.45	128.00	0.64	182.00
	(च) औद्यानिक फसलों पर 50 प्रति० राठ०स० पर व्यवर्तनीकरण	सब्जी बीज सामान्य/अदर क बीज वितरण	कु० में है०	3.00	40.00	0.00	0.00	1.00	42.00	0.00	0.00
	छ.आलू एवं सब्जियों की फसलपर 75अनुदान पर कुरमुला नियन्त्रण	कुरमुला कीट नियन्त्रण	है०	0.50	63.00	0.30	50.00	0.50	40.00	0.00	0.00
3	नयी योजना— अ—निजी उद्यानों की घेरबाड योजना 75 प्रति०अनुदान										
	अ— निजी उद्यानों की घेरबाड योजना 75 प्रति०अनुदान	नयी योजना—निजी उद्यानों की घेरबाड योजना	है०	17.35	34.75	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
	ब—पाली हाउस निर्माण 80 प्रतिशत रा०सहायता	पाली हाउस निर्माण 80 प्रतिशत रा०सहायता	वर्ग मी०	3.9	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	स—सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन	सघन बेमौसमी पदर्शन	संख्या			6.00	200.0 ०	2.00	666.00	3.23	1076.00
4	9109—जिला योजना टिहरी के क्रियान्वयन (अनुदान सं 30) (9111 फल तथा सब्जी को सुखाकर प्रसंस्करण योजना)										
	1— प्लास्टिक केटस (पर्किंग हेतु)							0.40	328.00		
	2— सिंचाइ हेतु पी०वी०सी० प्लास्टिक							0.40	32.00		

	टेक 500 ली० क्षमता एवं रबर पाईप 30 मीटर क्षमता									
5	9112— उन्नत किस्म की रोपण सामग्री								0.00	0.00
	1. चयनित क्षेत्रों में विभिन्न फलों एवं फल पटिटयों का विकास 50 प्रतिशत राज सहायता	आच्छादित क्षेत्रफल	है०	20.00	400	13.00	260.0 0	10.00	200.00	12.00
		लाभार्थी	स०		1618		1442. 00		1312.0 0	
	2. औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न निवेशों पर राज सहायता						0.00		0.00	0.00
	(क) फल पौध, सब्जी बीज परिवहन पर राज सहायता	फलपौध वितरण	स०	8.00	1.42	7.40	1.05	10.00	0.70	9.50
		सब्जी बीज वितरण	कु०		342.46		3.00		200.00	
		सब्जी पौध वितरण	लाखमें		32.30		35.00		20.00	
	(ख) औद्यानिक फसलों पर कीट व्याधि की रोकथाम 60 प्रतिशत राज सहायता	पौध सुरक्षा कार्य लाभार्थी	स०	4.80	412	3.00	1000. 00	6.00	800.00	5.50
	(ग) औद्यानिक औजार संयंत्रों के वितरण पर राज सहायता 50 प्रतिशत राज सहायता	औद्यानिक संयंत्र वितरण लाभार्थी	स०	5.40	362	3.00	148.0 0	3.00	417.00	2.52
	(घ) उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था पर राज सहायता 75 प्रतिशत राज सहायता	रेन वाटर हार्डिंग टॅक लाभार्थी	स०	5.20	69	4.80	64.00	4.90	40.00	6.70
	(ङ) चयनित विकास खण्डों मे महिला प्रशिक्षण	महिला प्रशिक्षण	स०	5.30	1514	3.00	857.0 0	2.98	851.00	4.22
	च..आलू एवं सब्जियों की फसलपर 75अनुदान पर कुरमुला नियन्त्रण	कुरमुला कीट नियन्त्रण लाभार्थी	स०	2.40	117.00	1.00	200.0 0	1.00	300.00	0.00
	(छ) औद्यानिक फसलों पर 50 प्रतिषत व्यवर्तनीकरण	अदरक बीज वितरण	है० / कु०	12.00	120.00	3.00	96.58	4.00	169.30	0.00
6	निजी योजना— अ—निजी उद्यानों की घेरबाड योजना 75 प्रति०अनुदान/पाली हाउस निर्माण 80 प्रतिशत राज सहायता									
	निजी उद्यानों की घेरबाड योजना 75 प्रति० अनुदान	घेरबाड	है०	41.67	83.40	0.00	0.00	17.057	8.86	2.00

	पाली हाउस निर्माण 80 प्रति0 रा0 सहायता	पाली हाउस निर्माण 80 प्रतिशत रा0सहायता	वर्ग मी0	21.46	2200.00	0.00	0.00				
	स—सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन	सब्जी प्रदर्शन				10.48	600.00	13.50	4500.00	17.50	5833.00
	2—राजकीय उद्यानों के सुदृढ़ीकरण हेतु श्रमिकों की मजदूरी	राजकीय उद्यानों के सुदृढ़ीकरण हेतु श्रमिकों की मजदूरी	है0 सं0	3.00	62.00 1540	2.53	100.00	4.00	22.00 2200	1.00	10 512

धनराशि लाख रु0 मे										
क0 स0	योजना / मद का नाम	मद	इकाई	2015–16		2016–17		2017–18		2018–19
	राज्य सैकटर			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	0016—मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना 80 प्रतिशत रा0सहायता	प्रदर्शन स0	स्काएर मी0	2.81	1000.00	2.50	900.00	2.13	800.00	8.00 2000.00
		लाभार्थी	स0		7.00		8.00		8.00	19.00
2	0303—सत्ताईस राजकीय उद्यानों का सुदृढ़ीकरण	अ—फल पौध उत्पादन	स0 (लाख)	3.58	0.18	6.46	0.15	10.51	5000.00	8.44 8000.00
		दैनिक श्रमिक	र0 (लाख)							
		ब—सब्जी पौधउत्पादन	सं0		20.60		24.50		21.00	0.00
		स—सब्जी बीज उत्पादन	कु0		0.08		1.50		0.80	0.00
3	0333—अखरोट मिशन	क्षेत्रफल है0 मे	है0							1.53 3.00
		लाभार्थी संख्या	संख्या							
4	14—पुराने उद्यानों की धेरबाड 75 प्रतिशत रा0सहायता	क्षेत्रफल है0 मे	है0	2.30	4.00	4.10	8.20	3.00	6.00	5.00 5.00
		लाभार्थी संख्या	संख्या		4		10.00		10.00	8.00
	उद्यानों का जीर्णधार 30 प्रति + 20 प्रतिशत रा0सहायता केन्द्रास	उद्यानों का जीर्णधार		3.00	13.00	4.99	10.00	0.00	0.00	0.00
5	पालीथीन बदलाव योजना 75 प्रतिशत रा0सहायता	पालीथीन बदलाव योजना	संख्या	0.00	0.00	0.50	6.00	0.44	3.00	0.00 0.00
6	फलपौध रोपण योजना (निःशुल्क)	फलपौध रोपण योजना (निःशुल्क)	संख्या	6.915	42450.00	0.00	0.00	4.12	27800	1.40 3000.00
	वर्मी कम्पोस्ट निर्माण 25 प्रति0+50 प्रतिशत केन्द्रास रा0सहा0	वर्मी कम्पोस्ट निर्माण	संख्या	0.75	3.00	0.75	9.00	0.00	0.00	5.00 20.00
	मसाला की खेती 25प्रति0 + 50 प्रतिशत केन्द्रास रा0सहा0	मसाला की खेती	है0	0.42	10.00	1.79	20.00	0.00	0.00	0.00

7	0329 औद्योगिक विकास संघन बैमौसमी सब्जी फसल 75 % राओस0	संघन बैमौसमी सब्जी उत्पादन 75 % राओस0	है0			2.80	17.40	3.00	14.50	8.50	34.42
8	0210 अनु० जाति स्पेशल कम्पोनेट संघन बैमौसमी सब्जी उत्पादन 100% राओस0	अनु० जाति स्पेशल कम्पोनेट संघन बैमौसमी सब्जी उत्पादन 100% राओस0	है0			2.55	15.60	3.10	15.00	4.00	28.70
	एन्टीहलनेट राज्यांश	एन्टीहलनेट	वर्गमी०			0.35	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	पौधशाला स्थापना	पौधशाला स्थापना	सं			0.00		2.81	2.00	5.81	3.00
10	जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु बर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना 75 : राओस0	जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु बर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना 75 % राओस0	सं०			2.50	10.00	8.00	32.00	5.00	20.00

धनराशि लाख रु० मे											
क०स0	योजना/मद का नाम	मद	इकाई	2015–16		2016–17		2017–18		2018–19	
				वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	क्षेत्र विस्तार फल—संघन	क्षेत्र विस्तार फल—संघन									
	कीवी	कीवी	हैक्टर							3.60	5
	अनार	अनार	हैक्टर	0.30	1.00	0.60	2.00	1.500	5	3.00	10
	सेब	सेब	हैक्टर	4.50	15.00	3.60	12.00	3.000	10	4.50	15
	आम	आम	हैक्टर	3.00	1.00	3.60	12.00	0.000			
	अमरुद	अमरुद	हैक्टर	1.50		1.50	5.00	1.200	4	1.50	5
2	क्षेत्र विस्तार फल—सामान्य										
	अखरोट	अखरोट	हैक्टर	0.72	0.00	0.00		0.000		0.72	400
	सेव	सेव	हैक्टर	2.70	15	1.80	10.00	1.800	10	1.80	10
	आम	आम	हैक्टर	1.80	10.00	1.98	11.00	1.800	10	3.60	20
	अमरुद	अमरुद	हैक्टर	0.90	5.00	0.72	4.00	0.900	5	0.90	5
	आवंला	आवंला	हैक्टर	1.800	10.00	0.90	5.00	1.440	8	1.80	10
	अनार	अनार	हैक्टर	0.90	5.00	0.54	3.00	1.800	10	1.80	10
	खुमानी	खुमानी	हैक्टर							0.00	0.00
	आडु	आडु	हैक्टर					0.900	5	0.00	0.00
	नीबू प्रजाति	नीबू प्रजाति	हैक्टर	0.72	4.00	0.90	5.00	0.936	5.2	0.90	5.00

3	जीर्णाद्वार फल	जीर्णाद्वार फल									
	अ.-सेव	अ.-सेव	हैक्टर	1.60	8.00	1.00	5.00	3.000	15	3.60	18.00
	ब.-नीबू प्रजाति	ब.-नीबू प्रजाति	हैक्टर	0.60	3.00	1.20	6.00	0.000		2.00	10
	स.-आम	स.-आम	हैक्टर	0.40	2.00	1.20	6.00	3.000	15	3.60	18
4	मसाला	क्षेत्र विस्तार मसाला									
	अ-अदरख	अ- अदरख	हैक्टर	3.00	0.00	0.00		0.000		4.50	30
	ब- मसाला मिर्च	ब- मसाला मिर्च	हैक्टर	1.500	20	3.00	20.00	1.500	10	3.00	20
	स- लहसुन	स- लहसुन	हैक्टर	2.25	15	0.00		1.500	10	0.90	600
	द-हल्दी	द- हल्दी	हैक्टर	1.5	10	0.00		0.75	5.00	1.50	10
5	पुष्प	क्षेत्र विस्तार पुष्प									
	अ. गेंदा	अ. गेंदा	हैक्टर	1.00	5	1.00	5.00	2.000	10	2.40	10
	अ. डेमेस्क रोज़ / ग्लैडोलियस बल्ब	अ. डेमेस्क रोज़	हैक्टर	0	0	0.00		0.000		7.50	10
7	संरक्षित खेती	संरक्षित खेती			0					0.00	
	अ-एन्टी हेलनेट	अ- एन्टी हेलनेट	वर्ग मी०	0.00	0	0.70	4000	0.875	5000	0.88	5000
	ब- पॉली हाउस	ब- पॉली हाउस	वर्ग मी०	2.44		6.10	400	10.36 2	1700	29.26	4800
	स- फूलों हेतु पॉली हाउस	स- फूलों हेतु पॉली हाउस	वर्ग मी०	0.00		0.00		0.000		0.00	
	द-सब्जी हेतु पॉली हाउस	द- सब्जी हेतु पॉली हाउस	वर्ग मी०	0.00		0.00		0.000		3.36	4800
	य- सेडनेट हाउस	य- शेडनेट हाउस	वर्ग मी०	0.00		0.00		0.000		0.00	
8	र-प्लास्टिक मल्विंग	र- प्लास्टिक मल्विंग	है०	0.00		0.00		0.920	5000.0 0	0.92	5.0
9	जैविक खेती को बढ़ावा देना	जैविक खेती को बढ़ावा देना									
	आई० पी० एम०/चर्मी बेड	आई० पी० एम०	हैक्टर	0.00		0.50	10.00	0.000	0.00	0.00	
	ब- बर्मी कम्पोस्ट पिट	बर्मी कम्पोस्ट पिट	संख्या	1.75	2.00	1.50	3	0.000	0.00	0.00	
10	कृषि यंत्रों को बढ़ावा देना	कृषि यंत्रों को बढ़ावा देना						0.000			
	अ. पावर आपरेटेड मशीन	अ. पावर आपरेटेड मशीन	संख्या	1.250	0.00	2.50	8	0.812	2	0.00	
	ब- पावर मशीन/स्वचलित मशीन	ब- पावर मशीन	संख्या	0.00	0.00	0.50	1	0.200	2.00	1.250	2
11	द्वितीय किश्त सघन (2018-19)	द्वितीय किश्त सघन (2018-19)	हैक्टर	2.00	10	3.10	16	3.100	31	1.90	19

	द्वितीय किश्त सामान्य (2018–19)	द्वितीय किश्त सामान्य (2018–19)	हैंडर	2.34	19	2.94	34	2.280	38	3.18	53
	तृतीय किश्त सघन (2017–18)	तृतीय किश्त सघन (2017–18)	हैंडर	4.08	24	2.00	10	3.100	31	3.10	31
	तृतीय किश्त सामान्य (2017–18)	तृतीय किश्त सामान्य (2017–18)	हैंडर	2.82	35	2.34	19	2.940	49	2.28	38
12	अ-ट्रेनिंग ऑफ फार्मस /एचआरडी	अ-ट्रेनिंग ऑफ फार्मस	संख्या	0.60	600	0.75	75	50.00	0.50	200	2
	ब-ट्रेनिंग ऑफ फार्मस राज्य के अन्दर	ब-ट्रेनिंग ऑफ फार्मस राज्य के अन्दर	संख्या	1.20	1.33	0.00		0.000		0.45	50
13	प्रशासनिक व्यय	प्रशासनिक व्यय		0.75		0.25		0.000		0	
	सेमिनार (T.S.G)	सेमिनार	संख्या	0	0	0.00		1.200		0	
14	विज्ञापन	विज्ञापन		0		0.40		0.400		0	
15	सभी हाइबिड	सभी हाइबिड									
	1- टमाटर	1- टमाटर	हैंडर	5.00	50	2.5	10	4.500	18	8.00	32
	2- बन्दगोमी	2- बन्दगोमी	हैंडर	2.00	40	2.0	8	3.000	12	5.50	22
	3- फूलगोमी	3- फूलगोमी	हैंडर	2.50	20	2.5	10	3.750	15	6.25	20
	4- शिमला मिर्च	4- शिमला मिर्च	हैंडर	0.00	30	2.5	5	2.250	9	6.00	24
			योग								
16	पैक हाउस	पैक हाउस	सं0	0.00	0	10.00	5	42.01	21	38.00	19

मत्स्य पालन

मत्स्य पालन विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक संचालित योजनाओं एवं कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण														
क्रमांक	वित्तीय वर्ष	योजनाओं का नाम	वित्तीय प्रगति		भौतिक प्रगति									
			स्वीकृत धनराशि (लाख में)	व्यय धनराशि (लाख में)	कार्य का नाम	इकाई यूनिट	विकासस्थान							
1.	2015–16	शीतजल योजना	4.80	4.80	तालाब निर्माण	40	3	6	9	6	3	—	—	13
		पर्वतीय क्षेत्र में तालाब निर्माण योजना	3.00	3.00	तालाब निर्माण	12	—	4	—	6	—	—	1	1

		पर्वतीय क्षेत्र में आदर्श तालाब निर्माण योजना	1.50	1.50	तालाब निर्माण	1	—	—	—	1	—	—	—	—
		अनुसूचित जाति उप योजना	7.98	7.98	तालाब निर्माण	19	—	5	3	6	2	2	—	1
2.	2016—1 7	शीतजल योजना	4.50	4.50	तालाब निर्माण	5	1	1	1	1	—	—	—	1
		पर्वतीय क्षेत्र में तालाब निर्माण योजना	3.00	3.00	तालाब निर्माण	12	—	2	3	2	2	—	1	2
		पर्वतीय क्षेत्र में आदर्श तालाब निर्माण योजना	3.00	3.00	तालाब निर्माण	2	—	—	—	1	—	—	—	1
		अनुसूचित जाति उप योजना	7.98	7.98	तालाब निर्माण	19	—	7	3	6	1	—	—	2
		ब्लू रिवोल्यूशन योजना	36.45	36.45	ट्राउट रेसवेज निर्माण	9	—	6	—	3	—	—	—	—
3.	2017—1 8	पर्वतीय क्षेत्र में तालाब निर्माण योजना	3.25	3.25	तालाब निर्माण	13	—	6	3	2	—	—	1	1
		पर्वतीय क्षेत्र में आदर्श तालाब निर्माण योजना	3.00	3.00	तालाब निर्माण	2	—	—	—	1	—	—	—	1
		अनुसूचित जाति उप योजना	6.48	6.48	तालाब निर्माण	9	—	2	1	3	—	—	—	3
		ब्लू रिवोल्यूशन योजना	47.25	47.25	ट्राउट रेसवेज निर्माण	19	—	10	3	—	—	—	—	6
4.	2018—1 9	जिला योजना	2.00	2.00	तालाब सुधार	10	5	1	2	2	—	—	—	—
		पर्वतीय क्षेत्र में तालाब निर्माण योजना	4.00	4.00	तालाब निर्माण	16	2	6	—	3	4	—	—	1
		पर्वतीय क्षेत्र में आदर्श तालाब	4.50	4.50	तालाब निर्माण	3	1	1	—	1	—	—	—	—

		निर्माण योजना												
		अनुसूचित जाति उप योजना	6.48	6.48	तालाब निर्माण	9	-	2	1	4	1	-	-	1
		मत्स्य पालन विविधिकरण योजना	1.67	1.67	तालाब निर्माण / सुधार	1 / 2	-	-	-	1/ 2	-	-	-	
		ब्लू रिवोल्यूशन योजना	32.40	32.40	ट्राइट रेसवेज निर्माण	20	-	10	-	10	-	-	-	

S.No.	Major Activity/Intervention	Short-Term (0-6 Month)				
		Expected Impact	Mitigation Strategy	Resources	Convergence	
1-	Fish Seed and fish Feed distribution	Fish cultivation will be started in existing Ponds	Fisheries Department will provide Fish feed and FishFarmer at there pond, existing Fish Pond/Site.	Fisheries Department Tehri Garhwal	--	
2-	Technical guidance and Selection of Beneficiaries/Site selection Fish pond construction.	To those beneficiary selected for Pond construction to generate lively hood in hill region.	Departmental Field staff will be selected site and Beneficiaries.		--	

S.No.	Major Activity/Intervention	Medium-Term (6 Month- 24 Month)				
		Expected Impact	Mitigation Strategy	Resources	Convergence	
1-	Construction of new fish pond at selected site.	to generate employment in hill region to stop migration and generate extra opportunities to	Fisheries Department will provide Fish feed and Fish Farmer at there pond, existing Fish Pond/Site.	Fisheries Department and MGNREGA	MGNREGA	

		farmers and to make availability of Protein rich diet in hilly region of Uttarakhand.			
--	--	---	--	--	--

S.No.	Major Activity/Intervention	Long-Term (24 Month and beyond)			
		Expected Impact	Mitigation Strategy	Resources	Convergence
1-	Fevovation of old existing ponds.	To those poor fish Farmers who are involved in fish production for more than 5 years will ge A boos tand an extra remuneration.	With the help of MGNREGA/ Renovation will be carried out.	MGNREGA	MGNREGA
2-	Cage Culture in Koteswar lake/Tehri lake	For generation of extra opportunities with farming, Cage culture is best practice for conservation and Production of culture based Capture fisheries.	Generation of Employment, water conservation, availability of Protein rich diet. Increased Fish Production in a limited Period of time.	MGNREGA	MGNREGA

उद्योग विभाग

जनपद टिहरी में उद्योग विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों को निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शाया गया हैः—

जिला उद्योग केन्द्र

उद्योग आधार की अद्यतन प्रगति

जिला उद्योग केन्द्र: नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल माह: मार्च, 2019

वर्ष: 2018–19

मद	मैमोरेण्डम फाईल संख्या (क्रमिक)			पूँजी विनियोजन (करोड़ में)			रोजगार		
	विनिर्माण	सेवा	कुल	विनिर्माण	सेवा	कुल	विनिर्माण	सेवा	कुल
सूक्ष्म	78	146	224	3.4185	6.271	9.6895	199	450	649
लघु	06	14	20	11.43	6.74	18.17	82	99	181
मध्यम	01	—	01	5.00	—	5.00	19	—	19
योग—	85	160	245	19.8485	13.011	32.8595	300	549	849

वर्ष 2018–19 में आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

क्र0सं0	कार्यक्रम स्थान	कार्यक्रम का स्वरूप एवं तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	आई.टी.आई, कण्डीसौँड विकासखण्ड—थौलधार	सामान्य दो दिवसीय/दिनांक 24.08.18 व 25.08.18	25
2.	राजकीय एच.एम.कालेज, मोलधार बौराडी विकासखण्ड—चम्बा	सामान्य दो दिवसीय/दिनांक 11.09.18 व 12.09.18	33
3.	राजकीय आई.टी.आई, बौराडी विकासखण्ड—चम्बा	सामान्य दो दिवसीय/दिनांक 14.09.18 व 15.09.18	36
4.	अलमस विकासखण्ड—जौनपुर (मै0 निसबर्ड द्वारा फूड प्रोसेसिंग विषय पर)	एससीएसपी तीन साप्तहिक/दिनांक 17.09.18 से 10.10.18	25
5.	ओखलाखाल विकासखण्ड—प्रतापनगर (मै0 निसबर्ड द्वारा फैशन डिजाइनिंग विषय पर)	सामान्य तीन साप्ताहिक/दिनांक 17.09.18 से 10.10.18	25
6.	गराखेत विकासखण्ड—जौनपुर	एससीएसपी दो दिवसीय/दिनांक 03.12.18 व 04.12.18	42
7.	पंचायत भवन कैम्पटी विकासखण्ड—जौनपुर	सामान्य दो दिवसीय/दिनांक 05.12.18 व 06.12.18	31

8.	आई.टी.आई, ढालवाला विकासखण्ड—फकोट	सामान्य दो दिवसीय / दिनांक 10.12.18 व 11.12.18	27
9.	आई.टी.आई, देवप्रयाग विकासखण्ड—देवप्रयाग	सामान्य दो दिवसीय / दिनांक 18.12.18 व 19.12.18	25
10.	प्रधानमंत्री कौंगल विकास केन्द्र, घनसाली विकासखण्ड—भिलंगना	सामान्य दो दिवसीय / दिनांक 22.11.18 व 23.11.18	32
11.	सिलवालगांव, माजफ विकासखण्ड—प्रतापनगर	सामान्य दो दिवसीय / दिनांक 15.12.18 व 16.12.18	34
12.	ग्राम पंचायत चकरेडा विकासखण्ड—भिलंगना	एससीएसपी दो दिवसीय / दिनांक 20. 12.18 व 21.12.18	34
13.	सेमण्डीधार विकासखण्ड—जाखणीधार	सामान्य दो दिवसीय / दिनांक 01.03.19 व 02.03.19	25
14.	ग्राम मंगसू विकासखण्ड—कीर्तिनगर	सामान्य दो दिवसीय / दिनांक 05.03.19 व 06.03.19	30
15.	ग्राम पंचायत मौड़ विकासखण्ड—नरेन्द्रनगर (मै0 आरसेटी द्वारा जूट प्रोडक्ट विषय पर)	सामान्य तीन साप्ताहिक / दिनांक 08.01.19 से 28.01.19	24

वर्ष 2018–19 में हथकरघा/हस्तशिल्प/लघु उद्योग के अन्तर्गत पुरस्कार वितरण

क्र0सं0	उद्यमी का नाम व पता	श्रेणी	उत्पाद का नाम	पुरस्कार स्वरूप देय धनराशि ₹ में
1.	श्रीमती विमला नेगी, ढालवाला, टिंगो	हथकरघा प्रथम	डिजाइनिंग शाल	₹ 6000.00
2.	श्रीमती सुमन देवी, चम्बा, टिंगो	हथकरघा द्वितीय	कुलु शाल	₹ 4000.00
3.	श्री प्रेम लाल, ग्राम गोदाधार दुंग, टिंगो	हस्तशिल्प प्रथम	रिंगाल टोकरी, फूलकण्डी	₹ 6000.00
4.	श्री भवित बलोनी, ढालवाला, टिंगो	हस्तशिल्प द्वितीय	स्लीपर, योगा मेट	₹ 4000.00
5.	श्री राहुल सेमवाल, तपोवन, टिंगो	लघु उद्योग	लाइफ जैकेट	₹ 6000.00
6.	श्रीमती ऊषा नेगी, फकोट, टिंगो	लघु उद्योग	मसाला सम्बन्धी कार्य	₹ 4000.00

उद्योग आधार की अद्यतन प्रगति

जिला उद्योग केन्द्र: नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल माह: नवम्बर, 2019

वर्ष: 2019–20

मद	मैमोरेण्डम फाईल संख्या (क्रमिक)			पूंजी विनियोजन (करोड ₹ में)			रोजगार		
	विनिर्माण	सेवा	कुल	विनिर्माण	सेवा	कुल	विनिर्माण	सेवा	कुल
सूक्ष्म	68	116	184	3.46	5.37	8.83	216	336	552
लघु	02	17	19	1.30	20.09	21.39	09	105	114
मध्यम	01	—	01	15.35	—	15.35	135	—	135
योग—	71	133	204	20.11	25.46	45.57	360	441	801

वर्ष 2019–20 में आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

क्र0सं0	कार्यक्रम स्थान	कार्यक्रम का स्वरूप एवं तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	स्थान प्रधानमंत्री कौ”ल केन्द्र, चम्बा	सामान्य दो दिवसीय दिनांक 12.09.19 व 13.09.19	38
2.	स्थान मड़ी, चौरास विकासखण्ड – कीर्तिनगर	तीन साप्तहिक सामान्य कार्यक्रम दिनांक 22. 08.19 व 13.09.19	28
3.	स्थान आई0टी0आई0, नई टिहरी विकासखण्ड–चम्बा	सामान्य दो दिवसीय दिनांक 07.11.19 व 08.11.19	40

कृषि विभाग

जनपदान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों को निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शाया गया है:-

खरीफ फसल वर्ष 2018–19

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े (वर्ष 2018–19)

क्षेत्रफल— हेक्टेयर मेंउत्पादन— मीट्रिक टन मेंउत्पादकता— कुन्तल प्रति हेक्टेयर में

क्र. सं.	जनपद	चावल (खरीफ)			मक्का (खरीफ)			मण्डुवा			सावं		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	टिहरी	10643	19068	17.92	1717	2881	16.78	8688	11707	13.47	12738	19824	15.56
उत्तराखण्ड (पर्वतीय)	101496	137610	13.56	16021	28892	18.03	91777	109631	11.95	48662	62886	12.92	
उत्तराखण्ड	239395	562465	23.50	20601	38447	18.66	91937	109809	11.94	48747	63009	12.93	

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े (वर्ष 2018–19)

क्र. सं.	जनपद	क्षेत्रफल— हेक्टेयर में			उत्पादन— मीट्रिक टन में			उत्पादकता— कुन्तल प्रति हेक्टेयर में					
		रामदाना			अन्य धान्य			कुल धान्य (खरीफ)			उर्द (खरीफ)		
		क्षेत्र फल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्र फल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्र फल	उत्पादन	उत्पादकता
1	ठिहरी	725	761	10.49	0	0	0.00	34511	54241	15.72	2782	2142	7.70
उत्तराखण्ड (पर्वतीय)		5845	6034	10.32	344	177	5.15	264145	345230	13.07	10453	8638	8.26
उत्तराखण्ड		5845	6034	10.32	344	177	5.15	406869	779941	19.17	12339	10712	8.68

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े (वर्ष 2018–19)

क्षेत्रफल— हेक्टेयर में उत्पादन— मीट्रिक टन में उत्पादकता— कुन्तल प्रति हेक्टेयर में

क्र. सं.	जनपद	गहरा / कुल्थी			तोर/ अरहर			राजमा			भट्ट		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्र फल	उत्पादन	उत्पादकता
1	ठिहरी	3689	3209	8.70	1639	1439	8.78	980	931	9.50	126	87	6.88
उत्तराखण्ड (पर्वतीय)		13011	11511	8.85	3126	2515	8.05	4991	5679	11.38	7741	8191	10.58
उत्तराखण्ड		13011	11511	8.85	3132	2520	8.05	4991	5679	11.38	7741	8191	10.58

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े (वर्ष 2018–19)

क्षेत्रफल— हेक्टेयर में उत्पादन— मीट्रिक टन में उत्पादकता— कुन्तल प्रति हेक्टेयर में

क्र. सं.	जनपद	अन्य दालें (खरीफ)			कुल दालें (खरीफ)			कुल खाद्यान्न (खरीफ)			मूँगफली		
		क्षेत्र फल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्र फल	उत्पादन	उत्पादकता
1	ठिहरी	584	488	8.36	9800	8296	8.47	44311	62537	14.11	0	0	0.00
उत्तराखण्ड (पर्वतीय)		1068	825	7.72	40390	37359	9.25	304535	382589	12.56	172	179	10.41
उत्तराखण्ड		1661	1168	7.03	42875	39781	9.28	449744	819722	18.23	1174	1219	10.38

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े (वर्ष 2018–19)

क्षेत्रफल— हेक्टेयर में

उत्पादन— मीट्रिक टन में

उत्पादकता— कुन्तल प्रति हेक्टेयर में

क्र. सं.	जनपद	तिल			सोयाबीन			अन्य तिलहन (खरीफ)			कुल तिलहन (खरीफ)		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	ठिहरी	623	198	3.18	562	505	8.98	6	4	6.68	1191	707	5.94
उत्तराखण्ड (पर्वतीय)		1671	508	3.04	4656	4882	10.49	58	41	7.07	6557	5610	8.56
उत्तराखण्ड		1960	584	2.98	9115	9726	10.67	58	41	7.07	12307	11570	9.40

रबी फसल वर्ष 2018–19

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े (वर्ष 2018–19)

क्षेत्रफल— हेक्टेयर में

उत्पादन— मीट्रिक टन में

उत्पादकता— कुन्तल प्रति हेक्टेयर में

क्र. सं.	जनपद	गेहूं			जौ			अन्य धान्य (रबी)			कुल धान्य (रबी)		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	ठिहरी	21812	45676	20.94	1877	3149	16.78	127	95	7.50	23816	48920	20.54
उत्तराखण्ड (पर्वतीय)		154473	281487	18.22	23191	33019	14.24	1306	980	7.50	178970	315486	17.63
उत्तराखण्ड		326999	951493	29.10	23226	33071	14.24	1306	980	7.50	351531	985544	28.04

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े (वर्ष 2018–19)

क्षेत्रफल— हेक्टेयर में

उत्पादन— मीट्रिक टन में

उत्पादकता— कुन्तल प्रति हेक्टेयर में

क्र. सं.	जनपद	चना			मटर			मसूर			अन्य दालें (रबी)		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	ठिहरी	8	5	6.44	28	15	5.34	918	494	5.39	0	0	0.00
उत्तराखण्ड (पर्वतीय)		390	285	7.31	1400	890	6.36	10038	8828	8.79	3	2	6.67
उत्तराखण्ड		746	597	8.00	5405	5280	9.77	10764	9494	8.82	15	11	7.33

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े (वर्ष 2018–19)

क्षेत्रफल— हेक्टेयर में

उत्पादन— मीट्रिक टन में

उत्पादकता— कुन्तल प्रति हेक्टेयर में

क्र. सं.	जनपद	कुल दालें (रबी)			कुल खाद्यान्न (रबी)			लाही/सरसों/तोरिया			अलसी		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	टिहरी	954	514	5.39	24770	49434	19.96	882	632	7.17	0	0	0.00
उत्तराखण्ड (पर्वतीय)		11831	10005	8.46	190801	325491	17.06	9243	7486	8.10	0	0	0.00
उत्तराखण्ड		16930	15382	9.09	368461	1000926	27.17	17018	15985	9.39	0	0	0.00

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े (वर्ष 2018–19)

क्षेत्रफल— हेक्टेयर में

उत्पादन— मीट्रिक टन में

उत्पादकता— कुन्तल प्रति हेक्टेयर में

क्र. सं.	जनपद	अन्य रबी तिलहन			रबी तिलहन योग			चावल(जायद)			मक्का (जायद)		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	टिहरी	0	0	0.00	882	632	7.17	0	0	0.00	0	0	0.00
उत्तराखण्ड (पर्वतीय)		11	6	5.45	9254	7492	8.10	0	0	0.00	7	8	11.43
उत्तराखण्ड		11	6	5.45	17029	15991	9.39	17237	56684	32.89	184	246	13.37

जायद फसल वर्ष 2018–19

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े (वर्ष 2018–19)

क्षेत्रफल— हेक्टेयर में

उत्पादन— मीट्रिक टन में

उत्पादकता— कुन्तल प्रति हेक्टेयर में

क्र. सं.	जनपद	अन्य धान्य (जायद)			कुल धान्य (जायद)			उर्द (जायद)			मूँग (जायद)		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	टिहरी	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
उत्तराखण्ड (पर्वतीय)		0	0	0.00	7	8	11.43	0	0	0.00	0	0	0.00
उत्तराखण्ड		0	0	0.00	17421	56930	32.68	67	44	6.57	2	1	4.96

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े (वर्ष 2018–19)

क्षेत्रफल— हेक्टेयर में

उत्पादन— मीट्रिक टन में

उत्पादकता— कुन्तल प्रति हेक्टेयर में

क्र. सं.	जनपद	अन्य दालें (जायद)			कुल दालें (जायद)			कुल खाद्यान्न (जायद)			गन्ना		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	टिहरी	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	उत्तराखण्ड (पर्वतीय)	0	0	0.00	0	0	0.00	7	8	11.43	0	0	0.00
	उत्तराखण्ड	0	0	0.00	69	45	6.52	17490	56975	32.58	91233	6345570	695.53

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े (वर्ष 2018–19)

क्षेत्रफल— हेक्टेयर में

उत्पादन— मीट्रिक टन में

उत्पादकता— कुन्तल प्रति हेक्टेयर में

क्र. सं.	जनपद	आलू (खरीफ)			आलू (रबी)			कुल आलू			प्याज़		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	टिहरी	642	7705	120.02	1221	13147	107.67	1863	20852	111.93	197	3160	160.40
	उत्तराखण्ड (पर्वतीय)	5535	55210	99.75	5612	64573	115.06	11147	119783	107.46	3605	58541	162.39
	उत्तराखण्ड	5535	55210	99.75	6138	72303	117.80	11673	127513	109.24	3840	61828	161.01

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े (वर्ष 2018–19)

क्षेत्रफल— हेक्टेयर में

उत्पादन— मीट्रिक टन में

उत्पादकता— कुन्तल प्रति हेक्टेयर में

क्र. सं.	जनपद	अदरक			कुल चावल			कुल मक्का			सूरजमुखी		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता									
1	टिहरी	286	3590	125.53	10643	19068	17.92	1717	2881	16.78	0	0	0.00
	उत्तराखण्ड (पर्वतीय)	1985	22582	113.76	101496	137610	13.56	16028	28900	18.03	0	0	0.00
	उत्तराखण्ड	2065	23179	112.25	256632	619149	24.13	20785	38693	18.62	6	4	6.67

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े (वर्ष 2018–19)

क्षेत्रफल— हेक्टेयर में

उत्पादन— मीट्रिक टन में

उत्पादकता— कुन्तल प्रति हेक्टेयर
में

क्र. सं.	जनपद	कुल धान्य			कुल दालें			कुल खाद्यान्न			कुल तिलहन		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	टिहरी	58327	103161	17.69	10754	8810	8.19	69081	111971	16.21	2073	1339	6.46
उत्तराखण्ड (पर्वतीय)		443122	660724	14.91	52221	47364	9.07	495343	708088	14.29	15811	13102	8.29
उत्तराखण्ड		775821	1822415	23.49	59874	55208	9.22	835695	1877623	22.47	29342	27565	9.39

पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग द्वारा जनपद टिहरी में चलाये जा रहे कार्यक्रमों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

जिला योजना /राज्य सेक्टर/ केन्द्र पोषित व वाह्य सहायतित योजनाओं का वर्ष 2018–19 का मासिक प्रगति प्रतिवेदन

पशुपालन विभाग जनपद टिहरी गढ़वाल।

(धनराशि लाख मे)

माह—मार्च 2019

क्र० सं०	विभाग / सेक्टर	वित्तीय प्रगति (लाख रुपये में)						क्र० सं०		मद	भौतिक प्रगति			
		अनुमोदित परिव्यय	शासन से अवमुक्त धनराशि	जिला स्तर पर अवमुक्त धनराशि	मासिक व्यय	क्रमिक व्यय	1.4.18 का अवशेष	अवशेष के सापेक्ष व्यय			इकाई	लक्ष्य	मासिक उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि
जिला सेक्टर योजनाएँ														
1	101—पशुचिकित्सा सम्बन्धी सेवाएं व स्वास्थ्य	87.58	0.00	87.58	36.34	87.58	0.00	0.00	1	विकित्ता	संख्या	217700	21858	228 496
	पशुचिकित्सा हेतु दवा, लैवर्सन का क्रय व शिविरों का आयोजन								2	बाधियाकरण	संख्या	985	985	106 29
									3	शिविर	संख्या	120	4	125
									4	सामुहिक	संख्या	10100	1834	131 71

									5	टीकाकरण	संख्या	255000	19059	440 169
									6	संचय वाहन	संख्या	4500	73	4594
2	पशुचि कित्साल यों एवं पशु सेवा केन्द्रों की रथापना	0.00	0.00	.	0.00	0.00	0.00	0.00		वेतन भत्तो का भुगतान				
3	पशुचि कित्साल यों एवं पशु सेवा केन्द्रों का भवन निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	भवन उत्तमणि	संख्या			
102—पशु और भैंस विकास														
1	वर्तमान कृत्रिम गर्भधान केन्द्रों की रथापना व सुदृढ़ीक रण	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	8	कृष्णग राय	संख्या	20000	876	5411
									9	कृष्णग राय	संख्या		1230	6676
104—मेड एवं ऊन विकास										राग	संख्या		2106	120 87
1	दारिन्दा पद्धति पर बकरा साप्ड वितरण	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	1	ड्रेटिंग	संख्या			
									2	प्र॒				

	विभाग / सेक्टर	वित्तीय प्रगति लाख में							क्र०सं ०	मंट	भौतिक प्रगति			
		अनुमोदित परिव्यय	शासन से अवमुक्त धनराशि	जिला स्तर पर अवमुक्त धनराशि	मासिक व्यय	क्रमि क व्यय	1.4.16 का अवशेष के सापेक्ष व्यय				इकाई	लक्ष्य	मासि क उपलब्धि	क्रमि क उपलब्धि
	106—अन्य पशुधन विकास													
1	ग्राम्य प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदर्शनियों का आयोजन	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	10	प्रांती	संख्या	3	1	3
2	अनुसूचित जाति के लाभार्थ रोजगार परक योजनाएं कुवकुट पालन इकाई	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	11	इकूल कुवकुट	संख्या	500 युनिट	0	500 युनिट
	107—चारा एवं चारागाह विकास													
1	उत्तराचल में चारा विकास कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	1 2	चारा बीज वितरण	किंग्रा ०	600 minikits	270	600 minikits
	जिला सेक्टर का योग	102.25	0.00	102.25	36.34	102.25	0.00	0.00						
	राज्य सेक्टर योजनाएं													
1	पशुचिर्कत्साल यों एवं पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

2	बकरी पालन, भेड़पालन, गौ पालन नई योजना	61.02	61.02	0.00	0.00	61.02	0.00	0.00				142	38	142
3	अटल आदर्श ग्राम योजना-तर्गत पशुचिकित्साल यों/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना	17.21	17.21	0.00	2.90	14.47	0.00	0.00	अवशेष धनराशि का पूर्व में समर्पण					
4	अहिल्या बाई होल्कर योजना न्तर्गत भेड बकरी युनिट की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0	0	0
5	गौसदनों की स्थापना	2.73	2.73	0.00	1.37	2.73	0.00	0.00				2	0	2
	राज्य सेवकर का योग	80.96	80.96	0.00	4.27	78.22	0.00	0.00						
	केन्द्र पोषित योजनाएं													
1	पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता -एस्केड	2.05	2.05	0.00	0.19	2.05	0.00	0.00				0		
2	प्रशासनि क अन्वेषण एवं सारिध्य कीय	2.02	2.02	0.00	0.64	2.02	0.00	0.00						

3	ब्रूसेला रोग नियन्त्रण योजना	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00				
4	पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियन्त्रण कार्यक्रम —पी०पी० आर०— सी०पी०	4.67	4.67	0.00	0.46	4.67	0.00	0.00				
5	नेशनल लाइवस्टॉ टाक मिशन योजनाम् तर्गत राज्य को सहायता	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00				
6	आर० पी० एवं पी० पी० आर० रोग का उन्मूलन व सर्वेलेन्स	0.46	0.46	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00				
7	पशु रोगों पर नियन्त्रण हेतु राज्यों को सहायता —एफ०ए म०डौ०— सी०पी०	32.83	32.83	0.00	17.06	32.83	0.00	0.00				
	केन्द्र पोषित का योग	42.10	42.10	0.00	18.84	42.10	0.00	0.00				
	महायोग	225.31	123.06	102.25	59.45	222.57	0.00	0.00				

पर्यटन विकास

पर्यटन विभाग द्वारा जनपद टिहरी में चलाये जा रहे कार्यक्रमों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

जनपद टिहरी की जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत पर्यटन विभाग की अनुमोदित योजनाओं का विवरण।										
क्रमांक	योजना का नाम	व्लाक का नाम	निर्माण इकाई	स्वीकृति का वर्ष	अनुमोदित धनराशि (लाख रु)	टी०ए०सी उपरान्त योजना लागत	निर्माण इकाई को निर्गत धनराशि (लाख रु)	निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय	निर्माण इकाई को भुगतान हेतु अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वि०ख० देवप्रयाग के अन्तर्गत चन्द्रवदनी मन्दिर पहुंच मार्ग पर टीनशैड निर्माण एवं रैनवाटर हार्डस्टिंग निर्माण।	-	RES Ghansalee	2018-19	20.00	20.00	20.00	20.00	-	कार्य पूर्ण।
2	पर्यटन कार्यालय साज सज्जा एवं कार्यालय सुदृढीकरण।	-	RES NTT	2018-19	10.00	10.00	10.00	10.00	-	कार्य पूर्ण।
3	वि०ख० देवप्रयाग—हि पड़ोलाखाल मोटरमार्ग पर देवप्रयाग के समीप फलादर घार के पास व्यू व्हाईन्ट निर्माण।	-	RES Ghansalee	2018-19	2.00	2.00	2.00	2.00	-	कार्य पूर्ण।
4	वि०ख० देवप्रयाग के ग्राम पचायत किमखोला अनु०जाति वस्ती डाण्डातोक सम्पर्क मार्ग	-	RES Ghansalee	2018-19	2.00	2.00	2.00	2.00	-	कार्य पूर्ण।

	एंव व्यू प्लाइन्ट निर्माण। (एस०सी०पी०)								
5	विठ्ठलदेवपग्य ग के साकनीधार रिथत विभागीय भूमि का घेरवाड एंव साइनेजे की स्थापना।	-	RES Ghansalee	2018- 19	2.01	2.01	2.01	2.01	- कार्य पूर्ण।
6	विठ्ठल भिलंगना के ग्राम गंगी में पौराणिक कौठार जीर्णद्वार।	-	RES Ghansalee	2018- 19	3.00	3.00	3.00	3.00	- कार्य पूर्ण।
7	विठ्ठलग ना के अन्तर्गत भिल्लोश्वर ट्रैकिंग मार्ग का जीर्णद्वार।	-	RES Ghansalee	2018- 19	2.00	2.00	2.00	2.00	- कार्य पूर्ण।
8	विठ्ठल भिलंगना के ग्राम पंचायत थाती भिलंग अनुजाति वस्ती मे व्यू प्लाइन्ट एंव बैच निर्माण। (एस०सी०पी०)	-	RES Ghansalee	2018- 19	2.00	2.00	2.00	2.00	- कार्य पूर्ण।
9	विठ्ठलंग ना के एलकेसी मोटरमारा के चंगोरा बैड पर व्यू प्लाइन्ट निर्माण।	-	RES Ghansalee	2018- 19	2.00	2.00	2.00	2.00	- कार्य पूर्ण।
10	विठ्ठल प्रतापनगर के पर्यटक स्थल सेममुखेम के मडभागीसौड पैदल मार्ग पर व्यू प्लाइन्ट एंव बैच निर्माण।	-	RES NTT	2018- 19	2.00	2.00	2.00	2.00	- कार्य पूर्ण।

11	विंख्य0प्रताप नगर के ग्राम खोलगढ़ पल्ला तिमलीसौड में व्यू प्वाईन्ट निर्माण।		RES NTT	2018-19	1.00	1.00	1.00	1.00	-	कार्य पूर्ण।
12	विंख्य0प्रतापन गर के ग्राम मोलगा में अनु0जाति वस्ती में व्यू प्वाईन्ट निर्माण। (एस0सी0पी0)	-	RES NTT	2018-19	2.00	2.00	2.00	2.00	-	कार्य पूर्ण।
13	विंख्य0प्रताप नगर के ग्राम भरपुरियागांव अनु0जाति वस्ती खाड में व्यू प्वाईन्ट एंव बैच संयोजन। (एस0सी0पी0)		RES NTT	2018-19	2.00	2.00	2.00	2.00	-	कार्य पूर्ण।
14	विंख्य0 प्रतापनगर के ग्राम पचांयत रौलाकोट के समीप व्यू प्वाईन्ट निर्माण।	-	RES NTT	2018-19	1.50	1.50	1.50	1.50	-	कार्य पूर्ण।
15	विंख्य0घौलधार के ग्राम डोबन में व्यू प्वाईन्ट एंव बैच संयोजन।	-	RES NTT	2018-19	2.00	2.00	2.00	2.00	-	कार्य पूर्ण।
16	विंख्य0जाखण धीधार के ग्राम पचांयत कडूली में व्यू प्वाईन्ट एंव बैच निर्माण।	-	RES Ghansalee	2018-19	3.00	3.00	3.00	3.00	-	कार्य पूर्ण।
17	विंख्य0जाखणी धार के ग्राम ननुवा में व्यू प्वाईन्ट एंव बैच संयोजन।	-	RES Ghansalee	2018-19	2.00	2.00	2.00	2.00	-	कार्य पूर्ण।

18	विंख्या० जाखणीधार के ग्राम करास के अनु०जाति वस्ती सैकरीसैण में व्यू प्वाइन्ट एंव बैच निर्माण। (एस०सी०पी०)	-	RES Ghansalee	2018-19	1.50	1.50	1.50	1.50	-	कार्य पूर्ण।
19	विंख्या० जौनपुर के बाण्डासारी से नागटिब्बा ट्रैकमार्ग पर व्यू प्वाइन्ट एंव बैच निर्माण।	-	RES NTT	2018-19	3.00	3.00	3.00	3.00	-	कार्य पूर्ण।
20	विंख्या० जौनपुर के ग्राम उनियालगांव में यात्री प्रतीक्षालय निर्माण।		RES NTT	2018-19	2.00	2.00	2.00	2.00	-	कार्य पूर्ण।
21	विंख्या० जौनपुर के ग्राम जाखधार (म्यानी) से नागथात तक ट्रैक रुट एंव यात्री प्रतीक्षालय निर्माण।	-	RES NTT	2018-19	2.00	2.00	2.00	2.00	-	कार्य पूर्ण।
22	विंख्या० जौनपुर के ग्राम ढकरौल अनु०जाति वस्ती में रैलिंग संयोजन कार्य। (एस०सी०पी०)	-	RES NTT	2018-19	1.50	1.50	1.50	1.50	-	कार्य पूर्ण।
23	विंख्या० जौनपुर के ग्राम पुजालडी से देवलसारी तक ट्रैक रुट, व्यू प्वाइन्ट एंव बैच संयोजन।	-	RES NTT	2018-19	2.00	2.00	2.00	2.00	-	कार्य पूर्ण।

24	विंख्य०जौनपुर के ग्राम नौगावं से मिडाकोटी अनु०जाति वस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। (एस०सी०पी०)	-	RES NTT	2018-19	1.50	1.50	1.50	1.50	-	कार्य पूर्ण।
25	विंख्य०जौनपुर के सुमनक्यारी में रैनरेड एंव बैच निर्माण	-	RES NTT	2018-19	2.00	2.00	2.00	2.00	-	कार्य पूर्ण।
26	विंख्य० जौनपुर के ग्राम पंचायत गैड में अनुसूचित जाति में सी०सी० खडिन्जा निर्माण। (एस०सी०पी०)	-	RES NTT	2018-19	1.50	1.50	1.50	1.50	-	कार्य पूर्ण।
27	विंख्य०कीर्ति नगर के अन्तर्गत गुरुमणिक नाथ ट्रैक मार्ग का जीर्णोद्धार, व्यू प्वाइन्ट एंव बैच निर्माण।	-	RES Ghansale e	2018-19	3.00	3.00	3.00	3.00	-	कार्य पूर्ण।
28	विंख्य० कीर्तिनगर के अन्तर्गत राडागाड में व्यू प्वाइन्ट एंव बैच संयोजन।	-	RES Ghansale e	2018-19	2.00	2.00	2.00	2.00	-	कार्य पूर्ण।
29	विंख्य०कीर्ति नगर के ग्राम घोडगाडी में व्यू प्वाइन्ट एंव बैच निर्माण।		RES Ghansale e	2018-19	2.00	2.00	2.00	2.00	-	कार्य पूर्ण।
30	विंख्य० नरेन्द्रनगर के ग्राम	-	RES NTT	2018-19	3.00	3.00	3.00	3.00	-	कार्य पूर्ण।

	औणी में व्यू प्लाइन्ट एंव बैच निर्माण।								
31	विंख्या नरेन्द्रनगर के ग्राम भण्डारगांव अनुजाति वस्ती में व्यू प्लाइन्ट एंव बैच निर्माण। (एस0सी0पी0)	-	RES NTT	2018-19	1.50	1.50	1.50	1.50	- कार्य पूर्ण।
32	विंख्या नरेन्द्रनगर के ग्राम खाड़ी देवप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैडी में यात्री सेड निर्माण।	-	RES NTT	2018-19	1.50	1.50	1.50	1.50	- कार्य पूर्ण।
33	विंख्या नरेन्द्रनगर के ग्राम फर्ट में व्यूप्लाइन्ट एंव बैच संयोजन।	-	RES NTT	2018-19	2.00	2.00	2.00	2.00	- कार्य पूर्ण।
34	विंख्या चम्बा के स्थान काण्डा सुरसिंगधार में व्यू प्लाइन्ट एंव बैच निर्माण।	-	RES NTT	2018-19	2.00	2.00	2.00	2.00	- कार्य पूर्ण।
35	विंख्या जाखणीधार के लामरीधार स्टेडियम के समीप (सुणधार एंव चौडधार) व्यू प्लाइन्ट एंव बैच निर्माण।	-	RES Ghansale e	2018-19	2.00	2.00	2.00	2.00	- कार्य पूर्ण।
36	विंख्या थौलधार के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भल्लियाना के धर्मशाला नामे तोक में व्यू प्लाइन्ट निर्माण।	-	RES NTT	2018-19	1.50	1.50	1.50	1.50	- कार्य पूर्ण।

37	विंख्या थौलधार के ग्राम दौड़का अनुजाति वस्ती में व्यू प्वाइन्ट एंव बैच निर्माण। (एस0सी0पी0)	-	RES NTT	2018-19	1.50	1.50	1.50	1.50	-	कार्य पूर्ण।
38	विंख्या नरेन्द्र नगर के अन्तर्गत रैनबर्सेरा कुजापुरी का जीणोद्धार।	-	RES NTT	2018-19	3.00	3.00	3.00	3.00	-	कार्य पूर्ण।
39	साहसिक पर्यटन	-	DASO	2018-19	15.00	15.00	15.00	15.00	-	
	योग (सामान्य मद +साहसिक पर्यटन+स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) (85.51+15.00+17.00)			-	117.51	117.51	117.51	117.51	-	

जनपद टिहरी की जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत पर्यटन विभाग की अनुमोदित योजनाओं का विवरण।

क्र सं	योजना का नाम	व्लाक का नाम	निर्माण ईकाई	स्वीकृति का वर्ष	अनुमोदित धनराशि (लाख रु०)	टी०१०सी उपरान्त योजना लागत	निर्माण ईकाई को निर्गत धनराशि (लाख रु०)	निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय	निर्माण ईकाई को मुगतान हेतु अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जनपद क्षेत्रान्तर्गत पर्यटन विभाग की भूमि का सीमांकन एंव चारदीवारी।	चम्बा	Res Ntt	2019–20	8.60	8.60	8.60	8.60	-	कार्य समाप्ति पर।
2	विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत कोकलिया गांव के ढलियाणा तोक में कुमालडा—	जौनपुर	Res Ntt	2019–20	1.50	1.50	1.50	1.50	-	—तदैव—

	कददूखाल मोटरमार्ग पर यात्री प्रतीक्षालय निर्माण।									
3	विकास खण्ड जौनपुर के नगुण भवान मोटरमार्ग के मौरियाण टॉप पर यात्री प्रतीक्षालय रैनशेड का निर्माण।	जौनपुर	Res Ntt	2019–20	1.50	1.50	1.50	1.50	-	—तदैव—
4	विकास खण्ड थौलधार के कटखेत थौलधार के कण्डक तोक में रैनशेड का निर्माण।	थौलधार	Res Ntt	2019–20	1.50	1.50	1.50	1.50	-	—तदैव—
5	विकास खण्ड थौलधार के रैदोणी थौलधार के बागी नामे तोक में यात्री प्रतीक्षालय निर्माण।	थौलधार	Res Ntt	2019–20	1.50	1.50	1.50	1.50	-	—तदैव—
6	जनपद विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के सुविधार्थ साईनेजों की स्थापना।	सम्पूर्ण जनपद	Res Ntt	2019–20	5.00	5.00	5.00	5.00	-	—तदैव—
7	विकास खण्ड प्रतापनगर के स्थान मदननेगी रोपवे से स्थानीय बाजार तक ट्रैक मार्ग सुधारीकरण।	प्रतापनगर	Res Ntt	2019–20	1.50	1.50	1.50	1.50	-	—तदैव—
8	विकास खण्ड प्रतापनगर के प्रतापनगर बाजार से धारकोट तक ट्रैकमार्ग सुधारीकरण।	प्रतापनगर	Res Ntt	2019–20	1.50	1.50	1.50	1.50	-	—तदैव—
9	विकास खण्ड कीर्तिनगर के ग्राम पचायत सोनी क्षेत्रान्तर्गत घण्डियाल देवता मन्दिर परिसर में पर्यटकों के सुविधार्थ पर्यटन विकास कार्य/सौन्दर्योकरण।	कीर्तिनगर	Res Ghan salee	2019–20	3.00	3.00	3.00	3.00	-	—तदैव—

10	विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत नगर पालिका चम्बा क्षेत्रान्तर्गत हाईटेक शौचालय निर्माण।	चम्बा	Res Ntt	2019–20	8.00	8.00	8.00	8.00	-	—तदैव—
11	विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत नगर पालिका चम्बा क्षेत्रान्तर्गत ईको पार्क/गार्डन निर्माण।	चम्बा	Res Ntt	2019–20	4.00	4.00	4.00	4.00	-	—तदैव—
12	विकास खण्ड जौनपुर के ग्राम पंचायत विरोड अन्तर्गत पर्यटक स्थल नागथात हेतु पार्किंग निर्माण एवं पर्यटन विकास कार्य। (एस0सी0पी0)	जौनपुर	Res Ntt	2019–20	2.00	2.00	2.00	2.00	-	—तदैव—
13	विकास खण्ड जौनपुर के ग्राम पंचायत बेल में पार्किंग स्थल विकास।	जौनपुर	Res Ntt	2019–20	2.00	2.00	2.00	2.00	-	—तदैव—
14	विकास खण्ड कीर्तिनगर के ग्राम पंचायत गवाणा में क्षेत्रपाल मंदिर परिसर में यात्रियों हेतु रेन शेड निर्माण।	कीर्तिनगर	Res Ghan salee	2019–20	2.00	2.00	2.00	2.00	-	—तदैव—
15	विकास खण्ड जाखणीधार के अन्तर्गत चौदांणा जी0टी0पी0 पर शौचालय निर्माण।(एस0सी0पी0)	जाखणीधार	Res Ghan salee	2019–20	2.40	2.40	2.40	2.40	-	—तदैव—
16	विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जसपुर मे व्यू प्वाइन्ट (गजीबो) एवं बैच निर्माण। (एस0सी0पी0)	भिलंगना	Res Ghan salee	2019–20	2.16	2.16	2.16	2.16	-	—तदैव—
17	विकास खण्ड नरेन्द्रनगर के ग्राम पंचायत आमपाटा मे यात्री सेट	नरेन्द्रनगर	Res Ntt	2019–20	2.40	2.40	2.40	2.40	-	—तदैव—

	निर्माण। (एस०सी०पी०)									
18	विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत औतड नागटिला ट्रैकरुट निर्माण।	जौनपुर	Res Ntt	2019–20	2.00	2.00	2.00	2.00	-	—तदैव—
19	विकास खण्ड जौनपुर के ग्राम जाडगांव में पर्यटन विकास कार्य। (एस०सी०पी०)	जौनपुर	Res Ntt	2019–20	2.40	2.40	2.40	2.40	-	—तदैव—
20	विकास खण्ड प्रतापनगर के भेलुता में व्यू प्वाइंट (गजीबो) निर्माण एवं बैच संयोजन। (एस०सी०पी०)	प्रतापनगर	Res Ntt	2019–20	2.40	2.40	2.40	2.40	-	—तदैव—
21	विकास खण्ड जौनपुर के ग्राम कोटी से भदराज मन्दिर तक ट्रैकरुट एवं मन्दिर परिसर के समीप बैच संयोजन।	जौनपुर	Res Ntt	2019–20	2.00	2.00	2.00	2.00	-	—तदैव—
22	विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत ग्राम कटखेत में खैणिकावीर से कण्डक महाराज तक ट्रैकिंग मार्ग एवं सौदन्धीकरण।	थौलधार	Res Ntt	2019–20	1.50	1.50	1.50	1.50	-	—तदैव—
23	विकास खण्ड प्रतापनगर के ग्राम पंचायत घण्डियालगांव में नागराजा मन्दिर के समीप यात्री शैड निर्माण।	प्रतापनगर	Res Ntt	2019–20	2.00	2.00	2.00	2.00	-	—तदैव—
24	विकास खण्ड थौलधार के ग्राम पंचायत बैलगांव में व्यू प्वाइंट निर्माण एवं बैच संयोजन।	थौलधार	Res Ntt	2019–20	2.00	2.00	2.00	2.00	-	—तदैव—
25	विकास खण्ड थौलधार के ग्राम पंचायत तिवाड गांव-रामगांव मध्य	थौलधार	Res Ntt	2019–20	1.50	1.50	1.50	1.50	-	—तदैव—

	झूलम नामे तोक में जाख— डोबरा मोटर मार्ग पर लेक व्यू प्वाइन्ट बैच ऐलिंग निर्माण।									
26	विकास खण्ड थौलधार के ग्राम सुनारगांव नागराजा मंदिर मे व्यू प्वाइन्ट का निर्माण।	थौलधार	Res Ntt	2019–20	1.50	1.50	1.50	1.50	-	—तदैव—
27	विकास खण्ड थौलधार के ग्राम डोवन से व्यू प्वाइन्ट तक सम्पर्क/ट्रैक मार्ग निर्माण।	थौलधार	Res Ntt	2019–20	2.00	2.00	2.00	2.00	-	—तदैव—
28	विकास खण्ड चम्बा के ग्राम पंचायत डारगी मे रानीचौरी नकोट मोटर मार्ग के किमी0 02 मे यात्री शैड निर्माण।	चम्बा	Res Ntt	2019–20	2.00	2.00	2.00	2.00	-	—तदैव—
29	विकास खण्ड भिलंगना के ग्राम ज्यूंदणा अनु० बस्ती मे सी०सी०मार्ग निर्माण (एस०सी०पी०)	भिलंगना	Res Ntt	2019–20	2.40	2.40	2.40	2.40	-	—तदैव—
30	विकास खण्ड थौलधार अन्तर्गत डाडोली मे यात्री सेट निर्माण।	थौलधार	Res Ntt	2019–20	2.00	2.00	2.00	2.00	-	—तदैव—
31	विकास खण्ड नरेन्द्रनगर के ग्राम पंचायत खर्कि तन्दील मे यात्री शैड निर्माण।	नरेन्द्रनगर	Res Ntt	2019–20	2.00	2.00	2.00	2.00	-	—तदैव—
32	विकास खण्ड भिलंगना के ग्राम कोटी फेगुल से सिद्धपीठ श्री गुरुमणिकनाथ मार्ग पर यात्री शैड निर्माण।	भिलंगना	Res Ghan salee	2019–20	2.00	2.00	2.00	2.00	-	—तदैव—
33	विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत ग्राम	भिलंगना	Res Ghan	2019–20	2.00	2.00	2.00	2.00	-	—तदैव—

	पाख के लक्ष्मीनारायण मन्दिर के समीप यात्री प्रतीक्षालय निर्माण। (एस०सी०पी०)		salee							
34	विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हड्डियाणा मल्ला के सुखताल नामे तोक में रैन शैल्टर निर्माण।	भिलंगना	Res Ghan salee	2019–20	2.00	2.00	2.00	2.00	-	—तदैव—
35	विकास खण्ड जौनपुर के ग्राम पंचायत जाडगांव में रैन शैल्टर निर्माण (एस०सी०एस०पी०)	जौनपुर	Res Ntt	2019–20	1.50	1.50	1.50	1.50	-	—तदैव—
36	विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम रिखवानी नागराजा मन्दिर परिसर में पर्यटन विकास कार्य।	देवप्रयाग	Res Ghan salee	2019–20	1.50	1.50	1.50	1.50	-	—तदैव—
37	विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत कोटेश्वर घाट में पर्यटन विकास कार्य।	देवप्रयाग	Res Ghan salee	2019–20	1.50	1.50	1.50	1.50	-	—तदैव—
38	साहसिक प्रशिक्षण एवं होम-रटे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।	सम्पूर्ण जनपद	Res Ntt	2019–20	20.50	20.50	20.50	20.50	-	—तदैव—
	योग	-	-	-	109.26	109.26	109.26	109.26	-	

अध्याय 5

विश्लेषण एवं सिफारिशें

टिहरी गढ़वाल जनपद, राज्य के उत्तर पश्चिमी भू-भाग में स्थित है तथा गढ़वाल मण्डल का एक जनपद है। जनपद मुख्यालय नई टिहरी में स्थित है। टिहरी जनपद कि जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6,18,931 है। इनमें से 2,97,986 पुरुष तथा 3,20,945 स्त्रियाँ हैं। इसमें वर्ष 2001 की जनगणना के तुलना में 2.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि राज्य औसत से काफी कम है। जनपद के पूर्व में रुद्रप्रयाग, पश्चिम में देहरादून, उत्तर में उत्तरकाशी एवं दक्षिण में जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित है। टिहरी गढ़वाल का भौगोलिक क्षेत्रफल 3642 वर्ग किमी है, जो कि प्रदेश के क्षेत्रफल का 6.81 प्रतिशत है। जनपद की सबसे ऊँची चोटी पंवाली कांठा है जो 5706 मीटर ऊँची है। यह स्थल भिलंगना नदी का उद्गम भी है।

टिहरी एक पर्वतीय जनपद है। अर्थव्यवस्था का एक भाग प्राथमिक क्षेत्र से आता है। मौजूदा कीमतों पर अर्थव्यवस्था रूपये 3,90,458.00 लाख वर्ष 2011–12 में, वर्ष 2012–13 में रूपये 4,53,375.00 लाख थी। जनपद में GDDP की वृद्धि दर वर्ष 2012–13 में 16.11 प्रतिशत, वर्ष 2013–14 में 14.35 प्रतिशत, वर्ष 2014–15 में 13.09 प्रतिशत, वर्ष 2015–16 में 8.77 प्रतिशत एवं वर्ष 2016–17 में 11.35 प्रतिशत थी। जनपद की प्रतिव्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में रु 54,877.00, वर्ष 2012–13 में रु 62,735.00, वर्ष 2013–14 में रु 69,911.00, वर्ष 2014–15 में रु 71,002.00, वर्ष 2015–16 में रु 76,145.00 तथा वर्ष 2016–17 में रु 83,662.00 थी।

पिछले 10 वर्षों में टिहरी जनपद के 934 ग्राम पंचायतों से 71,509 व्यक्तियों द्वारा अस्थायी रूप से पलायन किया गया। यह व्यक्ति अस्थायी रूप से आजीविका हेतु अथवा शिक्षा इत्यादि के लिए बाहर रहते हैं, लेकिन अपने गांव में आते रहते हैं। उक्त अवधि में 585 ग्राम पंचायतों के 18,830 व्यक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से पलायन किया गया। यह व्यक्ति अपने गांव में बहुत कम आते हैं, भूमि बंजर है, घरों पर ताले लगे हैं। यह पूर्ण रूप से गांव छोड़कर जा चुके हैं।

पलायन की समस्या जनपद के सभी विकास खण्डों में पायी गयी है। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा वर्ष 2018 में किए गए सर्वे में पाया गया कि जनपद में 50 प्रतिशत से अधिक लोगों द्वारा आजीविका/रोजगार के लिए पलायन किया गया तथा लगभग 18 प्रतिशत लोगों द्वारा मुख्यतया शिक्षा सुविधा का अभाव बताया गया। जनपद से पलायन करने में 40 प्रतिशत लोग 26 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, 29 प्रतिशत 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं तथा अन्य 30 प्रतिशत 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि जनपद से जिन व्यक्तियों द्वारा पलायन किया गया उनमें से 40 प्रतिशत राज्य के अन्य जनपदों में गये, 29 प्रतिशत राज्य से बाहर गए, 18 प्रतिशत अपने गांव के नजदीकी कस्बों में गए, 9 प्रतिशत जनपद मुख्यालय में गए तथा लगभग 3 प्रतिशत देश के

बाहर गए। वर्ष 2011 के बाद जनपद में कुल 58 ग्राम/तोक गैर आबाद हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक चम्बा, थौलधार एवं जौनपुर विकास खण्डों में हैं।

जनपद में कुछ ऐसे गांव/तोक भी हैं जहाँ पिछले 10 वर्षों में अन्य स्थानों से आकर लोग बसे हैं। इनमें से सबसे अधिक कीर्तिनगर विकास खण्ड में है। वर्ष 2011 के पश्चात् 71 ग्राम/तोक ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 50 प्रतिशत तक कम हुई है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विकासखण्डवार गैर आबाद गांवों की संख्या

Pratapnagar	6
Bilangana	8
Jakhidhar	3
Jaunpur	6
Thauldhar	22
Chamba	7
Narendra nagar	5
Deoparyag	10
Kirtinagar	1
District	68

वर्ष 1931 की जनगणना में जनपद टिहरी में सबसे अधिक 2918 आबाद गांव थे जो कि वर्ष 2011 की जनगणना में घटकर 1174 हो गए।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद में पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत 89.76 प्रतिशत थी जबकि महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 64.28 प्रतिशत थी और जनपद का औसत 76.36 प्रतिशत था। महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया जाना आवश्यक है, विशेषकर देवप्रयाग, भिलंगना एवं प्रतापनगर विकास खण्डों में।

Block	Male	Female	Average
Pratapnagar	92.33	60.46	75.32
Bilangana	86.76	57.25	70.09
Jakhidhar	89.02	63.54	74.98
Jaunpur	87.88	63.13	75.45
Thauldhar	88.94	63.81	75.28
Chamba	92.02	67.51	78.96

Narendra nagar	88.47	61.30	74.41
Deoparyag	87.17	58.91	71.83
Kirtinagar	91.60	68.52	79.25
Average for district	89.76	64.28	76.36

वर्ष 2004–05 में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी District GDP के अनुपात में 26.17 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2018–19 में घटकर 17.00 प्रतिशत हो गया। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2010–11 में रु0 58596 थी जो कि वर्ष 2017–18 में बढ़कर रु0 83662 हो गयी। ग्रामीण क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2015–16 में रु0 5612 थी जो कि वर्ष 2016–17 में बढ़कर रु0 7410 हो गयी।

सामान्य सिफारिशें

आकंड़ों से स्पष्ट है कि जनपद के 9 विकास खण्डों में से 5 विकास खण्डों में यह संख्या वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के बीच में कम हुई है। इन विकास खण्ड में भिलंगना(-5.39%), जाखणीधार(-5.16%), देवप्रयाग(-2.36%), थौलधार(-15.54%) तथा चम्बा(-9.81%)। इन विकास खण्डों में पलायन की दृष्टि से विशेष योजनाएँ प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार –पलायन को कम करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आवश्यक है जिससे आजीविका के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे तथा अन्य मूलभूत सुविधा जैसे कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र भी विकसित होंगे। यह आवश्यक है कि ग्रामों एवं ग्रामों के समूहों को चिन्हित करके इनका समाजिक एवं आर्थिक विकास के केन्द्र के रूप में विकास किया जाए। प्रत्येक क्षेत्र की आर्थिक क्षमता के सर्वे के पश्चात् उनका एक नियोजित रूप से समाजिक आर्थिक विकास किया जाए। इस विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा पलायन को कम करने में मदद मिलेगी।

कृषि एवं गैर–कृषि आय –आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि आय का महत्व है। पारम्परिक कृषि से किसानों की आय सीमित है। कृषि वर्षा पर निर्भर है। अतः फल, गैर मौसमी सभ्जियाँ इत्यादि के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नगरीय क्षेत्रों के निकट सेवा क्षेत्र से अधिक आय हो रही है तथा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है। यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र को और बढ़ाया जाए। जनपद के शहरी केन्द्र जैसे नई ठिहरी, चम्बा, नरेन्द्र नगर, कीर्तिनगर एवं देवप्रयाग के पास के गांवों में आजीविका की अपार सम्भावनाएँ हैं।

ग्राम केन्द्रित योजना –प्रत्येक ग्राम या ग्रामों के समूह की एक विस्तृत कार्ययोजना बनायी जानी चाहिए जो कि भौगोलिक परिस्थितियों, मूलभूत सुविधाएँ, निकटतम बाजार, पलायन की स्थिति आदि पर आधारित हों, विकास खण्ड स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग एवं पचायतीराज विभाग की टीम विस्तृत सर्वे करके ऐसी योजना तैयार करे जिसमें स्थानीय निवासियों से विचार–विमर्श करना भी आवश्यक है। इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी एवं पलायन कम होगा।

बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता—पानी की कमी, पकड़की सड़कें, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बुनियादी सुविधाएं हैं जिन्हें गावों तक पहुँचाना है, प्रमुखतः उन गावों में जहाँ से अधिक पलायन हुआ है।

जलवायु परिवर्तन—जलवायु परिवर्तन चिंता का एक प्रमुख कारण है, खासकर टिहरी जिले में जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। जलवायु परिवर्तन से कृषि अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन पर उत्तराखण्ड राज्य कार्ययोजना द्वारा प्रस्तावित उपायों को लागू करना होगा, जिसकी अनदेखी करने पर जिले के ग्रामीण इलाकों से अधिक पलायन हो सकता है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक खराब हो सकती है।

कौशल विकास—स्थानीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार कौशल विकास कार्यक्रमों को तैयार करना चाहिए जैसे कि कृषि सम्बन्धी प्रोद्योगिकी में सुधार, गैर मौसमी खेती, खाद्य, फल प्रसंस्करण दुग्ध उद्योग आदि। उद्यमिता विकास कार्यक्रम को भी ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। RSETI कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

युगपतीकरण (Convergence) —सभी सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का ध्यान गांवों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित करना होगा। उन्हें जरूरतों के आधार पर कार्यक्रमों का युगपतीकरण (Convergence) करना होगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन पर अंकुश लगे।

महिलाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना—इस तथ्य को देखते हुए कि गांवों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है, खासकर 30–49 वर्ष के आयु वर्ग की महिलायें ग्रामीण सामाजिक—अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। सामाजिक—आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी पर ध्यान केन्द्रित करना होगा जिनसे उनकी कठिनाइयों में कमी आये।

विकास केन्द्र—हाल ही में उत्तराखण्ड सरकार ने विकास केन्द्रों (ग्रोथ सेन्टर) को बढ़ावा देने एवं सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है। ग्राम्य विकास विभाग और विकास केन्द्रों को एक साथ मिलकर काम करना होगा।

क्षेत्र वार सिफारिशें

कृषि

जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। वर्ष 2016–17 में कुल बोया गया क्षेत्रफल 52992 हैक्टेयर था तथा वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल 25925 है0 था, कुल सिंचित क्षेत्रफल 7910 है0 था। इससे स्पष्ट है कि जनपद में कुल सिंचित क्षेत्रफल तथा एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल बहुत कम है। वर्ष 2015–16 में कुल सिंचित क्षेत्रफल कुल बोया गया क्षेत्रफल की तुलना में 14.38 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2016–17 में बढ़कर 14.93 प्रतिशत हो गया था। जनपद में 2016–17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 107288 मीट्रिक टन था।

आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य के अन्य पर्वतीय जनपदों की भाँति टिहरी गढ़वाल में भी कृषि उत्पादन के क्रय हेतु मंडियों की कमी है। इस जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में कृषि श्रमिकों की समस्त श्रमिकों की तुलना में प्रतिशत के आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं—

Pratapnagar	74.64
Bilangana	71.04
Jakhidhar	71.91
Jaunpur	83.97
Thauldhara	62.75
Chamba	61.33
Narendra nagar	58.56
Deoparyag	67.42
Kirtinagar	68.90
Average for district	70.25

इस तालिका से यह स्पष्ट है कि जौनपुर विकास खण्ड में सबसे अधिक कृषि श्रमिकों का प्रतिशत है तथा यह आंकड़े नरेन्द्रनगर विकास खण्ड में सबसे कम है।

जनपद में सिंचाई की सुविधा का अभाव कृषि उत्पादन बढ़ाने में एक बहुत बड़ी बाधा है। कुल सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे कम जौनपुर और जाखणीधार विकास खण्डों में क्रमशः 11.48 प्रतिशत तथा 10.01 प्रतिशत (वर्ष 2016–17) में था, जो कि वर्ष 2000–01 से लगभग स्थिर है। अतः यह आवश्यक है कि इन दोनों विकास खण्डों में विशेष अभियान चलाकर सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जाए।

धान के तहत क्षेत्रफल वर्ष 2014–15 में 11291 है0 था जो कि वर्ष 2016–17 में बढ़कर 11873 है0 हो गया, लेकिन इसी अवधि में गेहूँ के तहत क्षेत्रफल 23743 है0 से घटकर 22706 है0, जौ के तहत बोया गया क्षेत्रफल 2050 है0 से घटकर 1159 है0, मक्का के तहत बोया गया क्षेत्रफल 2049 है0 से घटकर 1769 है0 तथा मंडुवा के तहत बोया गया क्षेत्रफल 11756 है0 से घटकर 11673 है0 रह गया।

वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2016–17 के आंकड़े दर्शाते हैं कि दालों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 5232 है0 से बढ़कर 9111 है0 हो गया परन्तु मटर के तहत बोया गया क्षेत्रफल 220 है0 से घटकर 121 है0 रह गया।

आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15, 2016–17 के बीच धान की उत्पादकता 16.81 कुंतल/है0 से घटकर 15.71 कु0/है0 रह गई तथा गेहूँ की उत्पादकता इसी अवधि में 10.95 कु0/है0 से बढ़कर 14.19 कु0/है0 हो गयी।

कृषि मशीनीकरण के आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रताप नगर, भिलंगना, जाखणीधार, चम्बा एवं देवप्रयाग विकास खण्डों में इस प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 2017–18 में केवल 10 बीज गोदाम थे तथा नरेन्द्रनगर विकास खण्ड में कोई भी बीज गोदाम नहीं था। इस अवधि में समस्त जनपद में कोई भी Cold Storage नहीं था।

जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में जैसे कि नरेन्द्रनगर, जौनपुर और चम्बा विकास खण्डों में बड़ी संख्या में कृषक off season सब्जियाँ उगा रहे हैं। कई गांवों में यह कार्य नेपाली मूल के श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है परन्तु कृषि उत्पाद की मात्रा कम है, मांडियाँ उपलब्ध नहीं हैं तथा बड़े शहरों से विक्रेता नहीं आते हैं। नरेन्द्रनगर विकास खण्ड क्योंकि ऋषिकेश एवं देहरादून के निकट है, में यह स्थिति अन्य विकास खण्डों की अपेक्षा बेहतर है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में कृषि क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की जा रही हैं :—

- क— कृषकों तथा कृषक समूहों को आलू सहित अन्य ऑफ सीजन सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाय जिससे इनका उत्पादन बड़ी मात्रा में हो सके। यह भी आवश्यक है कि भिलंगना, जाखणीधार तथा थौलधार विकास खण्डों के उत्पादकों को विपणन हेतु विशेष सहायता की जाए।
- ख— जनपद में प्रतिव्यक्ति जोती गयी भूमि कम है। अतः यह आवश्यक है कि सहकारी खेती या सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया जाए।
- ग— यद्यपि जनपद के कई क्षेत्रों में सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है, परन्तु इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है जिससे कि बड़े नगरों के खरीदारों को आकर्षित किया जा सके, क्योंकि उत्पादन स्थानीय स्तर पर ही उपयोग कर लिया जाता है जो कि कृषकों के हित में नहीं है। इसके लिए ग्राम या ग्राम समूहों तथा स्थानीय सोसायटी में इस ओर ध्यान केन्द्रित कर पैदावार को इतना अधिक बढ़ाया जाय कि बाहरी जनपदों अथवा राज्यों के खरीदारों को आकर्षित किया जा सके।
- घ— जनपद में कृषि प्रसंस्करण की सुविधाओं में कमी देखी गयी है जबकि दालों के प्रसंस्करण के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। दाल और कृषि उत्पादकों के लिए प्रसंस्करण इकाई बढ़ाने की आवश्यकता है। जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में कृषि फसलों के उत्पादन हेतु कृषि विभाग द्वारा सघन सर्वेक्षण करवाये जाने की आवश्यकता है, इसकी वजह से उत्पादकता के सटीक आकड़े सामने आयेंगे जिससे खरीदारों को उत्पादन की मात्रा की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हो पायेगी।
- ङ— जनपद में कृषि बीजों की आपूर्ति भी चिन्ता का एक अहम विषय है, क्योंकि इनकी आपूर्ति जनपद के बाहर से ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर से भी कराई जा रही है। इन बीजों को यहां की जलवायु में न तो पैदा किया जा सकता है, न ही ज्यादा पैदावार उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए हमें इस ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि जनपद में उगाई जाने वाली फसलों के बीजों का उत्पादन जनपदों में स्थानीय स्तर पर ही करवाया जाय। इसके लिए जनपद स्तर पर कृषकों को प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित कर विभिन्न स्थानीय फसलों के बीजों को उत्पादित कर संरक्षित करवाने की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

- व— जनपद में कृषि उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र या विकासखण्ड स्तर पर किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producers' Organisations) का गठन किया जा सकता है जिनका दायित्व होगा कि वो कृषकों को सहकारी रूप से खेती करवाये, खेती में मशीनों का उपयोग करवाये, जिससे मानवशक्ति का उपयोग कम किया जा सके। खेती में उपज बढ़ाने के लिए उन्नत बीज और जानकारियां उपलब्ध कराये, जिससे कृषकों की आजीविका में वृद्धि सम्भव है।
- छ— कृषि विभाग द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में वर्तमान में चल रहे विपणन प्रक्रिया का अध्ययन करने के उपरान्त ठोस रणनीति तैयार करनी चाहिए, जिसके लिए विकासखण्ड/स्थानीय स्तर पर छोटी-छोटी ई-मंडियां स्थापित की जाएं।
- ज— जनपदान्तर्गत कृषि विभाग में फील्ड स्टाफ की भारी कमी है जो कृषि विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जनपद में मौजूदा रिक्तियों के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त किये जाने की अति आवश्यकता है।

उद्यान

जनपद में विभिन्न फलों का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि नाशपाती, अमरुद, आम, अखरोट इत्यादि। विभिन्न विकास खण्डों में गैर मौसमी सब्जियों का भी उत्पादन किया जा रहा है जिनकी खपत राज्य के भीतर शहरों में हो रही है। जैसे कि मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, विकास नगर। राज्य के बाहर भेजे जा रहे फल एवं सब्जियों की मात्रा कम है। हाल ही में कुछ विकास खण्डों में फूलों का उत्पादन भी शुरू हुआ है परन्तु इस पर और ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि फलों की खपत आस-पास के जनपद जैसे कि देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश आदि में और बढ़ेगी।

जनपद टिहरी में हल्दी के तहत बोया गया क्षेत्रफल वर्ष 2014–15 में 4.00 है0 था जो कि वर्ष 2015–16 में बढ़कर 30.00 है0 हो गया लेकिन पुनः वर्ष 2016–17 में घटकर 18.00 है0 रह गया। जनपद में प्याज के तहत बोया गया क्षेत्रफल वर्ष 2014–15 में 161.00 है0 था जो कि वर्ष 2016–17 में बढ़कर 193.00 है0 हो गया तथा इसी अवधि में अदरक का बोया गया क्षेत्रफल 286 है0 से घटकर 190 है0 रह गया।

वर्ष 2015–16 में सेब का क्षेत्रफल 3820है0 था जो कि वर्ष 2017–18 में घटकर 853है0 रह गया। इसी अवधि में नाशपाती का क्षेत्रफल 1815है0 से घटकर 225है0, पुलम का क्षेत्रफल 2627है0 से घटकर 240है0, खुमानी का क्षेत्रफल 1498है0 से घटकर 162है0 तथा अखरोट का क्षेत्रफल 4833है0 से घटकर 422है0 रह गया है। जनपद में सरकारी क्षेत्र में 4 फलों के बगीचे हैं तथा 1 आलू प्रदर्शनी क्षेत्र है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में फल एवं सब्जियों के उत्पादन को और सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं—

- क— जनपद में बागवानी के क्षेत्रफल को बढ़ाने की काफी अच्छी सम्भावनायें हैं। फलों की अच्छी मांग हेतु बाजार उपलब्ध है परन्तु इसके लिए उन्नत किस्मों की रोपण सामाग्री उपलब्ध कराना होगा। अधिक

मात्रा में अखरोट की कलमी प्रजाति का रोपण किया जा सकता है, जिसकी बढ़ती मांग दुनिया भर में है।

- ख— स्थानीय उद्यमियों के लिए फलों की नर्सरी स्थापित कर रोपण सामग्री उपलब्ध करवाना एक फायदेमंद आजीविका सिद्ध हो सकती है।
- ग— वर्तमान में नर्सरियों की संख्या कम है तथा कुछ विकास खण्डों में फलों की नर्सरी की संख्या 01 है अथवा कोई भी नर्सरी नहीं है। निजी क्षेत्र में भी नर्सरियाँ कम हैं। अतः सरकारी या निजी क्षेत्र में नर्सरियों को और बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे कि रोपण हेतु अच्छे पौधे समय पर उपलब्ध हो सकें एवं इन्हें जनपद के बाहर से मंगाने की आवश्यकता न पड़े।
- घ— जनपद में फल संरक्षण एवं प्रसंस्करण केन्द्रों की कमी है। भविष्य में जैसे—जैसे फलोत्पादन बढ़ेगा तो ऐसे केन्द्रों की संख्या में भी वृद्धि करनी होगी।
- ङ— जनपद के लिए बागवानी विकास योजना तैयार की जानी चाहिए जो कि मौजूदा फल उत्पादन की गुणवत्ता (प्रजातियां सहित); विपणन तथा कमियों को ध्यान में रखेगी। एकीकृत बागवानी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो सही प्रकार की प्रजातियों के लिए अच्छी रोपण सामग्री से लेकर प्रसंस्करण तथा विपणन सभी प्रकार की सुविधा प्रदान कर सके।
- च— बड़ी मात्रा में फलों की सही व उन्नत प्रजातियों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि जनपद के फल दिल्ली जैसे शहरों के बड़े बाजारों को निर्यात किए जा सकें। अगर उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो तो नए बाजार उद्योग जैसे बिग बार्केट और फार्म-पिक आदि द्वारा उत्पादों को सीधे खेतों से बाजार तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे रोजगार में वृद्धि सम्भव है।
- छ— राज्य के बागवानी विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी है तथा विभाग को मजबूत बनाने के लिए सभी रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है।

डेयरी एवं पशुपालन

जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 2003 में गायों एवं बैलों की संख्या 1140395 थीं जो कि वर्ष 2012 में घटकर 91350 रह गई है। बकरियों की संख्या वर्ष 2003 में 101637 थीं जो कि वर्ष 2012 में बढ़कर 125899 हो गई है। विकास खण्ड भिलंगना, जौनपुर नरेन्द्रनगर, देवप्रयाग में अन्य विकास खण्डों की तुलना में बकरियाँ अधिक हैं। वर्ष 2003 में मुर्गियों एवं चूजों की संख्या 28611 थी, जो कि वर्ष 2012 में बढ़कर 69401 हो गयी है। मुर्गियों की संख्या भिलंगना, जौनपुर, थौलधार एवं देवप्रयाग विकास खण्ड में अधिक है।

जनपद में 38 पशु डिस्पेंसरी हैं। विकास खण्ड प्रतापनगर, चम्बा में इनकी संख्या कम है पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए हर विकास खण्ड में कम से कम 5 पशु औषधालय होने चाहिए।

पशुपालन विभाग (उत्पादित दुग्ध उत्पादन)

S.No.	Block name	2017-18(118.050 metric tons)	2018-19(118.514 metric tons)
1	Thauldhar	6.302	6.322
2	Jakhnidhar	6.81	6.835
3	Chamba	7.245	7.26
4	Kirtinagar	8.344	8.38
5	Pratapnagar	9.183	9.22
6	Hindolakhal	9.95	10.05
7	Narendranagar	17.725	17.85
8	Jaunpur	24.96	25.034
9	Bhilangana	27.531	27.563
	Total	118.05	118.514

जनपद में डेयरी एवं पशुपालन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशों की जा रही है :–

- क— अधिकांश परिवारों के लिए दुग्ध उत्पादन आय का एक अतिरिक्त स्रोत है, हालांकि इसके लिए अधिक से अधिक परिवारों के लिए आय का मुख्य स्रोत बनना सम्भव तभी है जब पशुधन की गुणवत्ता में सुधार किया जाय। सभी विकासखण्डों में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है।
- ख— बेहतर लाभ के लिए दुग्ध उत्पादकों को उनकी उपज के प्रसंस्करण में पनीर, घी आदि का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
- ग— कई ग्राम पंचायतों में बकरी पालन और मुर्गीपालन किया जा रहा है। बकरियों की नस्ल को जनपद भर में सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि इस गतिविधि में आय में काफी वृद्धि करने की क्षमता है।
- घ— जनपद में कई डेयरियाँ हैं जो कि नई टिहरी, मसूरी, नरेन्द्रनगर, चम्बा एवं ऋषिकेश जैसे शहरों को दूध सप्लाई कर रही हैं, परन्तु इनकी संख्या कम है एवं इनको बढ़ावा देने से स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ेगी।
- ड— पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जनपद में अच्छी नस्ल के पशु उनके स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन, पैकेजिंग एवं विपणन आदि पर वर्तमान समय में सघन अध्ययन शुरू करवाना चाहिए, तत्पश्चात इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कार्य योजना तैयार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देने की आवश्यकता है।

मत्स्य पालन

जनपद टिहरी में एक बड़ा टिहरी बांध से बना जलाशय है जिसमें मत्स्य पालन की अपार संभावनाएँ हैं। टिहरी जलाशय में क्रमशः वर्ष 2017–18 में 216.020 कुंटल, वर्ष 2018–19 में 1344.00 कुंटल एवं वर्ष 2019–20 में 819.055 कुंटल मत्स्य उत्पादन किया गया।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर वर्ष 2017–18 तक 53 छोटे तालाब हैं जो कि निजी या सामुदायिक स्वामित्व के हैं। आंकड़ों के अनुसार इनमें से कोई भी देवप्रयाग एवं कीर्तिनगर विकास खण्डों में नहीं है।

जनपद टिहरी में मत्स्य पालन बढ़ाने हेतु निम्नलिखित सिफारिशों की जाती हैं:—

- क— टिहरी बांध झील में इसे बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा डैम से बने गोविन्द सागर झील में हजारों टन मछली उत्पादन हो रहा है तथा हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जनपद के हजारों लोगों की आजीविका में इससे सुधार हुआ है।
- ख— छोटे तालाबों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। इसमें सम्बन्धित विभाग जैसे मत्स्य विभाग, ग्राम्य विकास विभाग तथा अन्य विभाग अपनी परियोजनाओं से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं।

लघु उद्योग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हजारों की संख्या में जनपद के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से हो रहा पलायन कम होगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग जनपद के अन्तर्गत सबसे अधिक नरेन्द्र नगर विकास खण्ड में है। वर्ष 2017–18 में इस विकास खण्ड में 14 छोटे उद्योग थे जो 539 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रहे थे। इसी अवधि में 3446 लघु एवं सूक्ष्म इकाईयों 9495 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रही थी तथा 1864 खादी ग्रामोद्योग इकाई 3729 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रही थी। जनपद के अन्य विकास खण्डों में ऐसी इकाईयों की संख्या कम है जिनको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सिफारिशों की जाती हैं—

- क— जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक-अर्थव्यवस्था को बदलने की एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में उच्च क्षमता है। आकड़े बताते हैं कि एक करोड़ के निवेश किये जाने पर 55 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है। कृषि आधारित, रेडीमेड वस्त्र, बुनाई, फर्नीचर और मरम्मत एवं सर्विसिंग जैसे सूक्ष्म और लघु इकाईयों के माध्यम से अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में बढ़ाया जा सकता है। जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड में ऐसी इकाईयों हेतु सम्भावनाओं की तलाश कर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा दिया जाय जिससे विकासखण्ड/ ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक-अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत वृद्धि हो सकती है।
- ख— सूक्ष्म और लघु इकाईयों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को स्थानीय परिरक्षितियों पर गहन विचार करते हुए विकासखण्डवार कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता है।

- ग— आकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनपद के कई विकासखण्डों में एम.एस.एम.ई. के तहत विकास की कमी है या लगभग नगण्य है। इस प्रकार के विकासखण्डों में सूक्ष्म और लघु इकाइयों के विस्तार के लिए विशेष ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।
- घ— जनपद में सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों के विकास हेतु क्षमता विकास योजना को आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए।
- ङ— जनपद के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों के प्रचार-प्रसार में लगे कर्मचारियों की कमी है। इसे तत्काल निस्तारित किये जाने की आवश्यकता है।

पर्यटन

जनपद टिहरी में हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं जिसमें तीर्थाटन, राफिटंग, ट्रेकिंग तथा दर्शनीय स्थल के लिए जनपद के विभिन्न भागों में आते हैं। पर्यटकों की संख्या नरेन्द्र नगर एवं चम्बा विकास खण्डों में अधिक है तथा अन्य विकास खण्डों में कम है। जनपद में लगभग 100 से अधिक होम स्टे हैं जो कि मुनि की रेती तथा चम्बा-धनोल्टी क्षेत्र में अधिक हैं।

जनपद में पर्यटन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:-

- क— जनपद की एक पर्यटन विकास योजना तैयार की जानी चाहिए जो कि प्रत्येक विकास खण्ड में विभिन्न स्थलों की पहचान करके इनमें पर्यटकों की संख्या बढ़ाकर आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए चरणबद्ध योजना बनाए।
- ख— जनपद के मुनि की रेती-कौड़ियाला क्षेत्र में राफिटंग काफी प्रचलित है, लेकिन आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2011–12 से इनकी संख्या में गिरावट आई है। अतः राफिटंग को अन्य साहसिक खेलों से जोड़ना आवश्यक होगा।
- ग— प्रकृति आधारित पर्यटन (इको-टूरिज्म) के विकास की अपार सम्भावना है। प्रकृति-पर्यटन के लिए विशिष्ट गंतव्य और रमणीक स्थानों पर आधारित उप-योजनाएं विकसित की जा सकती हैं, जिसमें प्रकृति-पर्यटन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर ध्यान केन्द्रित किया जाए ताकि उन्हें लाभ मिल सके।
- घ— जनपद टिहरी के कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन एक सफल उदाहरण है जैसे कि जौनपुर क्षेत्र में गोट विलेज, धनोल्टी इको टूरिज्म पार्क तथा सुवाखोली-चम्बा क्षेत्र में होम स्टे। इन्हें अन्य विकास खण्डों में भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- ङ— राज्य सरकार ने टिहरी झील में पर्यटन को बढ़ाने के लिए विशेष योजना तैयार की है। प्रतिवर्ष टिहरी झील उत्सव का सफल आयोजन किया जाता है। इसको चरणबद्ध तरीके से Upscale करने से तथा

अन्य पर्यटक गंतव्य जैसे मसूरी, धनोल्टी, ऋषिकेश एवं हरिद्वार से जोड़ने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी।

- च— राज्य सरकार ने होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वकांक्षी योजना शुरू की है। आंकड़े बताते हैं कि होम स्टे, चम्बा एवं नरेन्द्रनगर विकास खण्डों में केन्द्रित हैं। इन्हें आसानी से जनपद के अन्य हिस्सों में भी बढ़ाया जा सकता है। होम स्टे संचालकों का कौशल विकास तथा IT विकास एवं प्रबंधन की भी आवश्यकता है।
- छ— जनपद टिहरी में पर्यटन विभाग के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है तथा इसमें तत्काल वृद्धि की आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास

जनपद टिहरी में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई विभाग कार्य कर रहे हैं तथा कई वित्त पोषित योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इनमें राज्य का ग्राम्य विकास विभाग मुख्य है तथा जलागम के भी कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जनपद में कुल 2151 स्वयं सहायता समूह स्थापित किए गए हैं। इनमें से 2055 नए हैं तथा 96 पुनर्जीवित किए गए हैं। इन स्वयं सहायता समूहों का वितरण विकास खण्डवार समान नहीं है। जनपद के थौलधार विकास खण्ड में सबसे अधिक 172 स्वयं सहायता समूह हैं एवं कीर्तिनगर विकास खण्ड में मात्र 51 स्वयं सहायता समूह संचालित किए जा रहे हैं। क्योंकि नए स्वयं सहायता समूह विभिन्न वर्षों में गठित किए गए हैं।

जनपद में मनरेगा योजना के अन्तर्गत महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2014–15 में में 69.8 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2019–20 में बढ़कर 72.00 प्रतिशत हो गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कार्य की मांग माह जून–जुलाई तथा माह फरवरी–मार्च में अधिक होती है तथा नवम्बर में कम होती है। मनरेगा योजनान्तर्गत जनपद में वर्ष 2019–20 में 1.52 लाख जॉब कार्ड धारक थे, जिनमें से 1.18 लाख सक्रिय जॉब कार्ड धारक थे तथा सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति के श्रमिकों का प्रतिशत 10.40 प्रतिशत था तथा अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों का प्रतिशत 0.11 प्रतिशत था। मनरेगा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत श्रम बजट ₹0 26.49 लाख था जो कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में बढ़कर ₹0 30.82 लाख हो गया। इसी अवधि में प्रतिघर प्रदान किए गए रोजगार का औसत 37.5 दिन से बढ़कर 38.30 दिन हो गया। जनपदान्तर्गत House Hold की कुल संख्या 3960 से घटकर 1793 हो गयी। NRM व्यय का प्रतिशत (सार्वजनिक + व्यक्तिगत) 52.98 से बढ़कर 73.79 हो गया है तथा कृषि और कृषि संबंधित कार्यों का व्यय प्रतिशत 52.97 से बढ़कर 71.87 प्रतिशत हो गया है।

ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित सिफारिशों की जाती हैं :-

मनरेगा—

- क— एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के तहत 50% से अधिक लाभार्थी महिलाएँ होने से महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय देने वाले कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करके महिलाओं का 50% से अधिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। महिलाओं के कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि उन्हें अकुशल श्रमिकों के बजाय कुशल श्रमिकों के रूप में अधिक लाभ मिल सके।
- ख— फसलों को बंदर और जंगली सूअरों जैसे जानवरों से नुकसान की समस्या है। हालाँकि कुछ विकास खण्डों में जंगली सूअरों से सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई जा रही हैं, यह सभी विकास खण्डों में किया जाना आवश्यक है, बंदरों से सुरक्षा के लिए वन विभाग की सहायता से परिसंपत्तियों का निर्माण करने की योजना तैयार की जाए।
- ग— जनपद के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी, दोनों के लिए पानी की कमी एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर रही है। इस समस्या से निपटने के लिए योजना के तहत कार्यों का संयोजन किया जा सकता है।

एन.आर.एल.एम.—

- क— सभी विकास खण्डों में स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाये जाना आवश्यक है तथा इनके फैडरेशन भी शीघ्र गठित किए जाएं।
- ख— आजीविका पैदा करने के लिए स्वयं सहायता समूह अधिक बढ़ावा देते हैं और सभी विकास खण्डों में इन ग्रामीण विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि स्थायी आजीविका की उत्पत्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, इस प्रकार पलायन रोकने में मदद करेगी। स्वयं सहायता समूहों के संघों (SHGs Federation)में कमी है या वे गैर-कार्यात्मक हैं, इन्हें मजबूत किया जाना चाहिए।

स्टाफ

- क— जनपद में ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या मैदानी जनपदों की तुलना में अधिक है। जमीन पर बेहतर और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए।
- ख— ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण को भी सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण 6 महीने के अंतराल के बाद नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों की जमीनी उत्पादकता और बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

ग— ग्रामीण विकास विभाग में क्षेत्रीय कर्मचारियों की कमी है और कुछ ग्राम विकास अधिकारी 35 से अधिक ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से कई दूरस्थ और कठिन हैं। इस मुद्दे को तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है।

COVID-19 के प्रकोप के पश्चात लौटे Migrants हेतु सिफारिशें:—

- 1- यह आवश्यक है कि Reverse Migrants के आर्थिक पुनर्वास हेतु राज्य सरकार विशेष कार्यक्रम चलाए। इससे टिहरी जनपद में ग्रामीण विकास और सुदृढ़ होगा, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ सुधरेंगी जिससे राज्य से हो रहा पलायन भी कम होगा।
- 2- इस प्रक्रिया से Reverse Migrants को जनपद में ही रहकर आजीविका की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ भी सुदृढ़ होंगी।
- 3- कृषि/बागवानी/पशुपालन तथा स्वरोजगार पर ही Focus किया जाना चाहिए। सभी विभाग Reverse Migrants के आर्थिक पुनर्वास हेतु अपनी योजनाओं में (यदि आवश्यक हो) बदलाव करें।
- 4- राज्य एवं जनपद स्तर पर नियोजन विभाग या ग्राम्य विकास विभाग में इस कार्य को सफल बनाने हेतु विशेष इकाई (Dedicated Cell) तुरन्त स्थापित की जानी चाहिए। यह इकाई ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के साथ Reverse Migrants के पुनर्वास के सभी कार्यों का समन्वय करेगी।
- 5- इन सभी लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक है, जिससे इनके अनुभवों, रुचि एवं आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। Skill Mapping इस जानकारी से एक डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए, जो कि राज्य एवं जनपद स्तर की इकाईयों में उपलब्ध होगा। प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए रणनीति बनाई जाये जिससे की ये लोग पुनः पलायन न करें।
- 6- इनमें से कई लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं। विभिन्न विभागों के विकास खण्ड स्तर के अधिकारी इन Reverse Migrants से सम्पर्क स्थापित कर इनका मार्गदर्शन करेंगे तो इस प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है।
- 7- आतिथ्य क्षेत्र, ईको टूरिज्म, Micro Enterprises आदि के लिए ब्याज मुक्त ऋण, सब्सिडी, सस्ती बिजली की निर्धारित दरें की जा सकती हैं।
- 8- इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि एम.एस.एम.ई., रोजगार सृजन योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना आदि से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को काफी लाभ हो रहा है। इन योजनाओं में अतिरिक्त बजट का प्रावधान करना आवश्यक है।

- 9- मूलभूत सुविधाओं जैसे कि सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा का अभाव पलायन का एक बड़ा कराण है। विभिन्न ग्राम पंचायतों में इस कमी की Mapping करायी जाए तथा विभिन्न योजनाओं से इन मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने से भी Reverse Migrants के पुनर्वास में लाभ होगा।
- 10- मई 2020 में केन्द्र सरकार के मार्ग वित्त मंत्री द्वारा कई योजनाओं की घोषणा की गयी है। इन योजनाओं का लाभ लेते हुए जनपद में लौटे Reverse Migrants का पुनर्वास किया जाना चाहिए।